	Notifications under AFSPA, 1958	in the State of Arunachal Pradesh.
S.No	Notification No. & Date	
1.	S.O.603(E) dated 17.09.1991	
2.	AFSPA in 20 km wide belt in the State	AFSPA in Tirap and Changlang District was
۷.	of Arunachal Pradesh, bordering with	extended vide following notifications:-
	the State of Assam was extended vide	extended vide following notifications.
	following proceedings/notifications:-	S.O.891(E) dated 27.09.2000
	Tollowing proceedings, notifications.	S.O.259(E) dated 23.03.2001
	S.O.646(E) dated 04.05.2006	S.O.932(E) dated 18.09.2001
	S.O.1941(E) dated 10.11.2006	S.O.336(E) dated 22.03.2002
	S.O.717(E) dated 04.05.2007	S.O.365(E) dated 31.03.2003
	S.O.1878(E) dated 04.11.2007	S.O.1149(E) dated 30.09.2003
	S.O.1082(E) dated 04.05.2008	S.O.437(E) dated 31.03.2004
	S.O.2594(E) dated 04.11.2008	S.O.1071(E) dated 30.09.2000
	S.O.1146(E) dated 04.05.2009	S.O.460(E) dated 31.03.2005
	S.O.2824(E) dated 04.11.2009	S.O.1431(E) dated 30.09.2005
	S.O.2707(E) dated 04.11.2010	S.O.475(E) dated 31.03.2006
	S.O.2506(E) dated 04.11.2011	S.O.1641(E) dated 30.09.2006
	S.O.2674(E) dated 04.11.2012	S.O.505(E) dated 31.03.2007
	S.O.3321(E) dated 04.11.2013	S.O.1685(E) dated 30.09.2007
	S.O.2818(E) dated 04.11.2014	S.O.782(E) dated 31.03.2008
		S.O.2315(E) dated 30.09.2008
		S.O.890(E) dated 31.03.2009
	*	S.O.2496(E) dated 30.09.2009
		S.O.725(E) dated 31.03.2010
		S.O.2393(E) dated 30.09.2010
		S.O.667(E) dated 31.03.2011
		S.O.2294(E) dated 30.09.2011
		S.O.706(E) dated 31.03.2012
		S.O.1725(E) dated 30.07.2012
		S.O. 2341 (E) dated 28.09.2012
		S.O.840(E) dated 28.03.2013
		S.O.2938(E) dated 26.09.2013
		S.O.982(E) dated 31.03.2014
		S.O.2563(E) dated 30.09.2014
3.	S.O.869(E) dated 27.03.2015	
4.	S.O.1177(E) dated 05.05.2015	
5.	S.O.3011(E) dated 05.11.2015	
6.	S.O.1646(E) dated 04.05.2016	
7.	S.O.3383(E) dated 04.11.2016	
8.	S.O.1402(E) dated 04.05.2017	
9.	S.O.2469(E) dated 04.08.2017	
10.	S.O.3208(E) dated 01.10.2017	
11.	S.O.1431(E) dated 01.04.2018	
12.	S.O.5020(E) dated 01.10.2018	
13.	S.O.1494(E) dated 01.04.2019	
14.	S.O.3559(E) dated 01.10.2019	
15.	S.O.1235 (E) dated 01.04.2020	
16.	S.O.3449(E) dated 01.10.2020	

17.	S.O.1440(E) dated 01.04.2021	
18.	S.O.4046(E) dated 01.10.2021	
19.	S.O.1551(E) dated 01.04.2022	
20.	S.O.4623 (E) dated 30.09.2022	
21.	S.O.1422(E) dated 24.03.2023	
22.	S.O.4231(E) dated 26.09.2023	_

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

----- المن مصاحب العالمات المراحل في العالم أو الما



HTETTETT EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

### प्राधिकार से प्रकारित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं, 517] मह विस्ती, मंत्रतवार, सितंत्वर 17, 1991/भाष 26, 1913. No. 517] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 1991/BEADRA 26, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती ही विससे कि यह अलग संस्हलर के रूप में

হলা আ গৰ Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालग

ग्रधिमुचना

नई हिल्ली. 17 मितम्बर, 1991

का. था. 603 (थ्र) :---यत केन्द्रीय भरकार की यह मत है कि नीचे अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में ऐसी क्षशांत धीर कतरनाक स्थिति हो गई है कि नागरिक प्रणासन की सहायता के लिए संशस्त्र बलीं का इस्तम्भान करना धावण्यक हो गया है:

श्रत:, श्रव, सगस्त ग्रल (विशेष शक्तियां) श्रधिनियम. 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त संपूर्ण क्षेत्र को श्रशांत क्षेत्र शोषित करती है।

2400 G1/91

- (1) अरुणाचल प्रवेश, नागालैंण्ड श्रीर मेघालय राज्यों को प्रसम राज्य के साध लगी सीमा की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी,
- (2) श्ररणाचल प्रदेश के तिरप तथा यांगलांग जिले.
- (3) नागालैण्ड का मोन जिला।

[फा.सं. 11011/111/90-एन.ई.-4] षिनय गांकर, संयक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1991

S.O. 603 (E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the areas described in the schedule herebelow are in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958), the Central Government hereby declares the whole of the said areas to be a disturbed area.

## SCHEDULE

- (i) A 20 Kilometre wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya along their borders with the State of
- (ii) Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh.
- (iii) Mon district of Nagaland.

[F. No. 11011|111|90-NE. IV] VINAY SHANKAR, Jt. Secy.

# HRA Sazette of India

असाधारण

# **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632 1

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2000/आश्विन 5, 1922

No. 632 ]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2000/ASVINA 5, 1922

गृह मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2000

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603 (अ)।

का.आ. 891 (अ).— यतः अरूणाचल प्रदेश के तीरप एवं चांगलांग जिलों को गृह मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत 17.9.1991 से सशस्त्र बल श्रृंतिशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 के तहत अशान्त क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इस प्रकार की अशान्त एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का प्रयोग अवश्यक था, और

- 2• यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए एक विवरण में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के तहत "अशान्त क्षेत्रों" की घोषणा से संबंधित समी मौजूदा अधिसूचनाओं की 20·8·1997 से तीन माह की अवधि के मीतर समीक्षा की जाएगी ।
- 3 तव्नुसार, तीरप एवं चांगलांग जिलीं की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई है। कानून एवं व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार की रिपोर्टों से निम्निलिश्तित तथ्य सामने आए हैं:-
- हों इं एन0एस0सी0एन0 हैके इं दारा 9 मई, 1999 को लोधग गांव में श्री वांगजो होसाई की उनके सिर पर लोहे की छड़ से प्रहार करके निर्मम इत्या कर दी गई थी ।
- हैं। । । 20 मई, 2000, को अत्यापुनिक इधियारों तथा इथगेलों से लैस एन०एस०सी०एन० हैके हैं उग्रवादियों ने बोरडुरिया गांव पर धावा बोल दिया और भूतपूर्व वित्त मंत्री तथा वर्तमान विधायक श्री वांगलट के छोटे माई सहित छः व्यक्तियों का अपहरण कर लिया ।

- १।।। एन०एस०सी०एन० १के १ की गतिविधियों ने भारतीय जनता पार्वि की उम्मीदबार श्रीमती लोमरियन मोस्कुक को सोम्सा १ पूर्व १ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र भरने से रोका ।
- १। 1√१ 15 जुलाई 2000 को, अन्य अधिकारियों के साथ तीरप जिले के उपायुक्त को बोरड्डिया गांव में उप्रवादियों दारा रोका गया तथा उनके निजी सुद्धा अधिकारी से ए०के० -47 रायफल छीन ली गई।
- § 1/
  § 31 जुलाई, 2000 को, पन0पस0सी0पन0 हैके है दारा तीसा के निकट लोन्सा- लॉगिडिंग सड़क पर पनिडुरिया गांव के 2 व्यक्तियों की इस कारण गोली मारकर इत्या कर वी गई कि ये व्यक्ति पन0पस0सी0पन0 हैं आई/पम है कांडर को तीरप जिले में लाने के लिए जिम्मेदार थे ।
- १५/1ं तीरप/चांगलांग से म्यांमार में तथा पश्चिम कार्मेंग/तवांग से भूदान में पन0पस0सी0पन0 १के१, पी0पल0प0, उल्फा, बोडो आवि जैसे पूर्वेत्तर के विभिन्न सशस्त्र उग्रवादी संगठनों की भारी आवाजाही की रिपोर्ट प्रान्त हुई है ।
- 4. राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि राज्य पुलिस बल की सीमित उपलब्धता से इन दो जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है तथा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना/अर्द सैनिक बलों की सहायता मांगी है । राज्य सरकार ने यह भी सिप्यरिश की है कि इन दो जिलों को अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित करना जारी रसा जार ।
- 5. उपर्युक्त को ध्यान में रसते हुए, केन्द्र सरकार की यह राय है कि तीरप एवं चांगलांग जिलों में स्थित अशान्त है तथा सिविल शिक्त की सहायता के लिए सशस्त्र बलों के प्रयोग की परिस्थितियां विद्यमान हैं। अतः, यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की 17.9.1991 की उक्त अधिसूचना 31 मार्च, 2001 तक प्रभावी रहेगी जब तक कि इसे इससे पूर्व वापिस न लिया जार।

[सं. 13/27/99-एम जैंड]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव (एन.ई.)

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September. 2000

Ref: Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 891(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civ'l power was necessary, and

- Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20.8.1997.
- A review of the law & order situation in Tirap & Changlang districts has accordingly been conducted. The State Government reports on law & order bring cut the following facts:
  - (i) On 9th May 1999, Shri Wangjo Hosai was brutally killed by smashing his head with iron rod at Lothung village by the NSCN(K)
  - (ii) On 20th May 2000, NSCN(K) ultras armed with sophisticated weapons and hand grenades raided Borduria village and kidnapped six persons including the younger brother of Shri Wanglat, Ex-Finance Minister and present MLA.
  - (iii) The activities of NSCN(K) prevented a BJP candidate, Mrs. Lomrian Mophuk from filing nomination from Khonsa (East) Parliamentary constituency.
    - (iv) On 15th July 2000 the Deputy Commissioner, Tirap District with other officers were intercepted by ultras at Borduria village and an AK-47 rifle was snatched away from his Personal Security Officer.
      - (v) On 31st July 2000, two persons of Paniduria village were shot dead by the NSCN(K) at Khonsa-Longding road near Tissa on the ground that these persons were responsible for bringing in NSCN(I/M) cadre to Tirap District.

- (vi) Reports have been received of heavy movements of various armed extremists groups of North East like NSCN(K), PLA, ULFA, Bodo etc. through Tirap/Changlang to Myanmar and through West Kameng/Tawang to Bhutan.
- 4. The State Government have also reported, that with the limited availability of State police force, it is not possible to fully control the law and order situation in these two districts and have sought the help of Army/para military forces to control the situation. The State Government have also recommended that these two districts be continued to be declared as disturbed.
- 5. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It is, therefore, decided that the notification dated 17.9.1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March 2001 unless withdrawn earlier.

[No 13/27/99-MZ] G. K. PILLAI. Jt. Secy. (NE)

SENTRAL

# He Gazette of India

असाधारण

# **EXTRAORDINARY**

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड ( ii ) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187 ]

No. 187]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 2001/चैत्र 2, 1923 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 2001/CHATTRA 2, 1923

# गृह मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2001

संदर्भ.--गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 603(अ)।

का.आ. 259( अ ).—यतः इस मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत अरूणायल प्रदेश के तीरप एवं चांगलांग जिलों को 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशान्त क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इतनी अशान्त एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था, और

- 2. यतः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए विवरण में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत "अशान्त क्षेत्रों" की घोषणा संबंधी सभी वर्तमान अधिसूचनाओं की 20.8.1997 से तीन माह की अविध के भीतर समीक्षा की जारगी।
- 3. उसत स्थित की पिछली बार सितम्बर,2000 में समीक्षा की गई यी तथा दिनांक 27.9.2000 की अधिसूचना संख्या का0आ0 891 § अ है के तहत तीरप एवं चांगलांग की "अशान्त की त्रों" के रूप में घोषणा के कार्यकाल को 31.3.2001 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। अब तीरप एवं चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की और समीक्षा की गई है। कानून एवं व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार की रिपोर्टी से निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है:-
  - हैं। इं एनएससीएन है के के कार्यकर्ताओं ने तीरप जिले के कनुवारी क्षेत्र के गानों से 150 रु० /प्रति धर की दर से गृष्ठ कर वसूलना जारी रसा ।

इसी बीच नोवलाय अर्रधम नामक व्यक्ति के नेतृत्व मे पनएससीपन् के के कार्यकर्तीओं का एक वता बानफेरा गाँव में आया तथा उन्होंने गाँव वासियों को परेशान किया ।

- १ंां इं एनएससीएन १ आईएम १ का कियोंग न्यामते, जिसका एनएससीएन १ के १ के कार्यकर्ता वारा मई,2000 में लाजू गांव १तीरप जिला १ से अपहरण कर लिया गया था, गंगवो गांव से एनएससीएन १ के १ के अड्डे से भाग निकला तथा एनएससीएम १ आईएम १ में शामिल हो गया ।
- हैं।।ं। प्रनिप्ससीपनहेके के कार्यकर्ताओं के एक दस्ते की 15.1.2001 से चांगलांग के सरसंग सर्किल के नोंगधम गांव में पड़ाव डालने की खबर धी । चांगलांग में उनके पड़ाव डालने का प्रयोजन उस क्षेत्र में जनता से कर वसूल करने वाले पनपससीपनहआर्बपम गुट से लड़ना धा।

- ३ ६/ і 
  ३ लारसांग क्षेत्र 
  १ वांगलांग जिला
  ३ के व्यापारियों ने बीपससीपन
  ३ आर्थिम
  ३
  गुट दारा मांगे गप धन का मुगतान किया । पसडीओ, मियाओ तथा

परियोजमा निर्वेशक नमडापहा यहगर परियोजना को जारी किए गए मांग पत्रों पर भागलेंड के किसी स्वयं मू कैप्टम विकटर उर्फ रोकुनायांग तथा धिंगवांग उर्फ केनवांग कृष्यांमार मूल काई वारा इस्लाक्षर किए गए थे।

- 4. राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि राज्य पुलिस बल की सीमित उपलब्धता से इन दो जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखना संभव नहीं है तथा उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना/अर्धसैनिक बलों की सहायता मांगी है। राज्य सरकार ने भी सिफारिश की है कि इन दोनों जिलों को अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित करना जारी रखा जार।
- 5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार की राय है कि तीरप पर्व शांगलांग जिलों में स्थित अशान्त है तथा यह कि सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों के प्रयोग की परिस्थितियां मौजूद हैं। अतः, यह निर्णय लिया गया है कि दूश मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उक्त अधिसूचना 30 सितम्बर, 2001 तक प्रकृत रहेगी जब तक कि इसे इससे पूर्व वापिस न लिया जार।

[फा. सं. 13/27/99-एम जैंड] जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव (एन.ई.)

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2001

Ref. - Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E), dated 17-9-1991.

S.O. 259(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

- 2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20.8,1997.
- 3. The situation was last reviewed in September 2000 and vide Notification bearing SO 891(E) dated 27.9.2000, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 31.3.2001. A further review of the law & order situation in Tirap & Changlang districts has since been conducted. The State Government reports on law & order bring out the following facts:
  - (i) NSCN(K) activists continued to collect house-tax at the rate of Rs.150/- per house from villages under Kanubari area of Tirap district. Meanwhile, a group of NSCN(K) activists led by one, Nowlai Arangham, visited village Banfera and harassed the villagers.
  - (ii) One Kimong Nyamtey of NSCN(IM), who was kidnapped by NSCN(K) a activist from Lazu village (Tirap district) in May, 2000, escaped from the NSCN(K) hideout from Longbo village and joined the NSCN(IM).
  - (iii) A contingent of 60 armed NSCN(K) activists were reportedly camping in the village of Nongtham under Kharsang Circle of Changlang district since 15.1.2001. The purpose of their camping in Changlang was to fight with NSCN(IM) faction, who were collecting taxes from the public in that area.
  - (iv) On December 29, 2000, four suspected armed NSCN(IM) cadres came to the office of Higher Secondary School, Miao (Changlang district) and collected Rs.23,000 as tax. They also demanded

money from the SDO, Miao and insisted that the SDO should assist in collection money from all the Departments.

- (v) NSCN(IM) activists summoned 3 non-tribal persons in the jungle of Wangsu Pahar near Miao and directed them to collect money from the shopkeepers of Miao.
- (vi) The businessmen of Kharsang area (Changlang district) paid money, as demanded by the NSCN(IM) outfit. The demandletters issued to SDO, Miao and Project Director, Namdapha Tiger Project were signed by one self-styled Captain Victor alias Rokunawang of Nagaland and Thingwang alias Kenwang (of Myanmar origin).
- 4. The State Government have also reported, that with the limited availability of State police force, it is not possible to fully control the law and order situation in these two districts and have sought the help of Army/para military forces to control the situation. The State Government have also recommended that these two districts be continued to be declared as disturbed.
- 5. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It is, therefore, decided that the notification dated 17<sup>th</sup> September 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30<sup>th</sup> September 2001 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ] G. K. PILLAI, Jt. Secy. (NE)

# HRA Saxette of India

# असाधारण

# EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680] No. 680]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2001/भात्र 30, 1923 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2001/BHADRA 30, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2001

संदर्भ : गृह भंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603( अ)

का.आ. 932(अ).—यतः अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को गृह मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत 17.9.1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इस प्रकार की अशान्त एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था, और

- 2. यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत " अशान्त क्षेत्र " घोषित किए जाने संबंधी विद्यमान अधिसूचनाओं की 20.8.1997 से तीन माह की अविध के भीतर समीक्षा की जाएगी ।
- 3. स्थिति की पिछली बार मार्च 2001 में समीक्षा की गई थी तथा दिनांक 23 मार्च 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 259(अ) के तहत तीरप एवं चांगलांग की "अशान्त क्षेत्र" के रूप में घोषणा की अवधि को 30.9.2001 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। अब तीरप एवं चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की और समीक्षा की गई है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में राज्य सरकार की रिर्णोटों से निम्नलिखित तथ्य सामने आते है:--
- (i) 10.4.2001 को तीरप जिले के लांगबो गांव में एन एस सी एन (के) तथा एन एस सी एन (आई एम) के बीच एक मुठभेड़ हुई जिसमें एन एस सी एन (के) के 4 सदस्य घायल हुए थे जिनमें से एक

की बाद में मृत्यु हो गई थी । उनकी मुठभेड़ के दौरान दोनों गुटों के बीच हुई गोलीबारी से लगी आग में आठ मकान जल गए थें । तीरप जिलें में कैमई गाँव के निकट एन एस सी एन (आई एम) तथा सेना के बीच हुई एक और मुठभेड़ में सेना के एक जवान के घायल हो जाने की खबर थी ।

- (ii) चांगलांग जिले के जयरामपुर सर्किल के अन्तर्गत नामचिक गाँव के जी बी, श्री टी. तीखक से एन एस सी एन (के) के कार्यकर्ताओं द्वारा 5000/-रूपये की माँग किए जाने की खबर थी। उन्होंने चांगलांग जिले के प्रत्येक परिवार से कर के रूप में 100/- रूपये की भी मांग की। चांगलांग जिले के रीमा, नमगोई, लोंगकी तथा नामपोंग क्षेत्रों में श्री अरूण जुगली के नेतृत्व में एन एस सी एन (के) के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक घर से 300/- रूपये की वसूली की।
- (iii) 13.6.2001 को लगभग 1115 बजे, नमडांग चैक-गेट से लगभंग 1 कि.मी. दूर मरघरीटा (असम) की ओर उग्रवादियों द्वारा असम राइफल्स के कार्मिकों (एक जेसीओ सिहत) पर छोटे आग्नेययास्त्रों तथा हथगोलों से उस समय हमला किया गया जब वे एक गम्भीर रोगी को दो टन के वाहन पर चांगलांग से जयरामपुर ले जा रहे थे। घात लगाकर किए गए इस हमले मे असम राइफल्स के 9 कार्मिकों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गुई तथा जेसीओ गम्भीर रूप से घायल हो गया।
- (iv) 12.7.2001 को लगभग 0010 बजे तीरप जिले में गैस एजेंसी, खोनसा के निकट भूमिगत लोगों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों पर घात लगाकर हमला किया जिसमें हैड कांस्टेबल अमीर हुसैन तथा कांस्टेबल लकबीर सिंह की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा कांस्टेबल दीन मोहम्मद गम्भीर रूप से घायल हो गया ।
- (v) 20.7.2001 को तीरप जिले के लाजू सर्किल के नीचे पांकोंग तथा सनिलयाम के बीच भूमिगत लोगों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों पर घात लगाकर हमला किया जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 6 कार्मिक मारे गए तथा 6 अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए ।
- (vi) एन एस सी एन (आई एम) ने लांगडिंग पुमाव क्षेत्र के स्थानीय नेताओं तथा छोटे ठेकेदारों से 5000/- रूपये प्रति व्यक्ति की दर से धन की मांग की है । कनुबारी के चाय बागान मालिकों से अपनी बिक्री का 3% भुगतान करने के लिए कहा गया था ।
- (vii) 18.7.2001 को एन एस सी एन (के) के कार्यकर्ताओं ने तीरप जिले के कनुबारी सर्किल के अन्तर्गत लुआक्सिम गांव से श्री बांगलोंग वांगजेन, तूजेन बिहाम ओर बांग्झे वांगजेन का अपहरण किया और फिरौती के लिए 1 लाख रू० की मांग की । बताया जाता है कि बाद में लुआकिसम ग्रामवासियों ने 15000 रूपये दिये थे और अपरहरण किए गए व्यक्तियों को नागालैंड के नोकयांग गांव से छुड़ाया था।

- (viii) बताया गया है कि एन एस सी एन (आई एम) कार्यकर्ताओं ने चांगलांग जिले के मियाओं एवं खारसांग क्षेत्र के पी डबल्यू डी, आर डबल्यू डी और पी एच ई डी के अधिकारियों को नोटिस देकर प्रत्येक से तीन-तीन लाख रूपये की मांग की । उन्होंने कृषि विभाग के कर्मचारियों से 2% प्रति माह की दर पर 24% वार्षिक सेवा कर की भी मांग की ।
- (ix) 25.7.2001 को लगभग एन एस सी एन (आई एम) के छः कार्यकर्ता चांगलांग जिले के दीयूम सर्किल के अंतर्गत मनाभूम स्थित इंडियन ऑयल कम्पनी में गये और प्रत्येक कर्मचारी से 10,000 रूपये की मांग की तथा उन्हें मामले की सूचना सुरक्षा बलों को न देने की चेतावनी दी।
- 4. राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सीमित संख्या में राज्य पुलिस बल उपलब्ध होने के कारण इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को पूर्ण नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। राज्य सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सेना / अर्धसैनिक बलों की मदद मांगी है। राज्य सरकार ने यह सिफारिश भी की है कि इन दोनों क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित रहने दिया जाए।
- 5. उपरोक्त के मद्देनजर, केन्द्र सरकार की यह राय है कि तीरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है कि वहां सिविल अधिकारियों की मदद के लिए सशस्त्र बल भेजे जाने चाहिए। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17.9.1991 की उपरोक्त अधिसूचना, पहले वापिस न लिये जाने की स्थिति में 31 मार्च, 2002 तक लागू रहेगी।

[सं. 13/27/99-एम जैड]

सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (एन.ई.)

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2001

Ref: Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 932(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20.8.1997.

- 3. The situation was last reviewed in March 2001 and vide Notification bearing SO 259(E) dated 23<sup>rd</sup> March.2001, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 30.9.2001. A further review of the law & order situation in Tirap & Changlang districts has since been conducted. The State Government reports on law & order bringing out the following facts:
  - (i) On 10.4.2001, an encounter took place between NSCN(K) and NSCN(IM) at village Longbo of Tirap District in which four NSCN(K) cadres were injured of which one is reported to have died later. During their encounter eight houses were gutted in fire caused by firing between the two factions. In an another encounter between NSCN(IM) and Army near Kaimai village in Tirap district one army person was reportedly injured.
  - (ii) NSCN(K) activists reportedly demanded Rs.5000/- from Shri T. Tikhak, GB of Namchik village under Jalrampur circle of Changlang district. They also demanded Rs.100/- from each family in Changlang district as tax. In Rima, Namgoi, Longkey and Nampong areas of Changlang district, the NSCN(K) activists led by Shri Arun Jugli collected Rs.300/- per house.
  - (iii) On 13.6.2001, at about 1115 hours, ten Assam Rifles personnel. (including on e JCO) while escorting a serious patient oon a 2 ton vehicle from Changlang to Jairampur were attacked by militants with small fire arms and grenades at about 1 km away from Namdang check-gate towards Margherita (Assam). In the ambush nine Assam Rifles personnel died on the spot and the JCO was grievously injured.
  - (iv) On 12.7.2001 at about 0010 hours, the Under Grounds ambushed CRPF personnel near Gas Agency, Khonsa in Tirap District killing Head Constable Amir Hussaln and Constable Lakbir Singh on the spot and leaving Constable Din Mohammed seriously injured.

- (v) On 20.7.2001, the Undergrounds ambushed CRPF personnel in between Ponkong and Sanliam village under Lazu circle of Tirap district in which 6 CRPF personnel were killed and six other seriously injured.
- (vi) The NSCN(IM) has demanded money from the local leaders and petty contractors of Longding-Pumao area at the rate of Rs.5000/each. The tea garden owners of Kanubari were also asked to pay 3% of their sales.
- (vii) On 18.7.2001, the NSCN(K) activists abducted Shri Wanglong Wangjen, Tujen Biham and Wangjeih Wangjen from Luaksim village under Kanubari circle of Tirap district and demanded Rs.1 lakh as ransom. Later the Luaksim villagers reportedly paid Rs.15,000/- and got the abducted person released from Nokyang village of Nagaland.
- (viii) It is reported that NSCN(IM) activists served demand notices t PWD, RWD and PHED authorities of Miao and Kharsang area of Changlang district to pay Rs.3 lakhs each. They also demanded 24% of yearly service tax at rate of 2% per month from the employees of Agriculture department.
- (ix) On 25.7.2001, about six NSCN(IM) activists visited Indian Oll Company at Manabhum under Diyum circle of Changlang district and demanded Rs.10,000/- from each employee with the warning not to report the matter to security forces.
- 4. The State Government have also reported, that with the limited availability of State police force, it is not possible to fully control the law and order situation in these two districts and have sought the help of Army/para military forces to control the situation. The State Government have also recommended that these two districts be continued to be declared as disturbed.

5. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It is, therefore, decided that the notification dated 17<sup>th</sup> September 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31<sup>st</sup> March 2002 unless withdrawn earlier.

[No. 13/27/99-MZ] SURENDRA KUMAR, Jt. Secy. (NE)

# HRA Sazette of India

# असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] No. 292] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2002/**चैत्र** 5, 1924

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2002/CHATTRA 5, 1924

# गृह मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2002

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17~9-1991 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 603(ई)।

का. आ. 336(अ).—यत: इस मंत्रालय की उपर्युक्त अधिसूचना के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शिक्तयां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि, केन्द्र सरकार की राय में, उपर्युक्त जिलों में ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थिति व्याप्त थी कि वहां सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक हो गया था, और

- 2. यतः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर विवरण में भारत सरकार ने यह कहा था कि पूर्वीक्त अधिनियम के अंतर्गत ''अशांत क्षेत्रों'' की घोषणा मंबंधी सभी मौजूदा अधिसूचनाओं की 20~8-1997 से तीन माह की अविध के अन्दर समीक्षा की जाए।
- 3. पिछली बार सितम्बर, 2001 में स्थिति की समीक्षा की गई थी और दिनांक 18 -9-2001 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 932(अ) के तहत 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में तिरप एवं चांगलांग संबंधी घोषणा के कार्यकाल को बढ़ाकर 31-3-2002 तक करने का निर्णय लिया गया था। तिरप एवं चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की अब आगे समीक्षा की गई है। राज्य सरकार ने कानून एवं व्यवस्था संबंधी रिपोर्टों के बारे में सूचित किया है कि इन रिपोर्टों में, समीक्षाधीन अविध के दौरान, सुरक्षा बलों और एन एस सी एन (आई एम), एन एस सी एन (के), उल्फा के बीच हुई मुठभेड़ों, भूमिगत तत्वों द्वारा विध्वंसकारी साहित्य के वितरण, किए गए जबरन धन वसूली के प्रयासों, भूमिगत तत्वों से शस्त्र एवं गोला बारूद की बरामदगी का विवरण दिया गया है।
- 4. राज्य सरकार ने बताया है कि तिरप और चांगलांग में सेना और अर्घ सैनिक बल उग्रवादियों को निकाल भगाने के लिए विद्रोह-विरोधी अभियानों में लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने यह भी सिफारिश की है कि इन दो जिलों को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित रहने दिया जाए।
- 5. उपर्युक्त को देखते हुए, केन्द्र सरकार का यह मत है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और सिविल प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों के प्रयोग के लिए परिस्थितियां मौजूद हैं। अत: यह निर्णय लिया जाता है कि 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना, जब तक कि इसे इससे पूर्व वापिस न लिया जाए, 30 सितम्बर, 2002 तक प्रवृत रहेगी।

[फा. सं. 13/27/99-एम जैड] सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (एन ई)

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2002

Ref.: Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 336(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion

1014 GI/2002

of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

- 2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997.
- 3. The situation was last reviewed in September. 2001 and vide Notification bearing SO 932(E), dated 18-9-2001, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 31-3-2002. A further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. The State Government has intimated about reports on law and order detailing a number of encounters between Security Forces and NSCN(IM), NSCN(K), ULFA, distribution of subversive liferature by undergrounds attempts at extortion and seizure of Arms and Ammunition from the undergrounds during the period under review.
- 4. The State Government have reported, that in Tirap and Changlang the Army and Para Military Forces are engaged in counter insurgency operations to flush out the militants. The State Government have also recommended that these two districts be continued to be declared as disturbed.
- 5. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It is, therefore, decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September, 2002 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ] SURENDRA KUMAR, Jt. Secy. (NF.)



EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2003/आश्विन 9, 1925

No. 908]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2003/ASVINA 9, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2003

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603 ( अ )।

का.आ. 1149(अ).— यतः अरूपाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को गृह मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था; और

- 2. यतः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी;
- 3. स्थित की पिछली बार मार्च, 2003 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 31-3-2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 365(अ) के तहत तीरप एवं चांगलांग की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अविध को 30-9-2003 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तीरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थित की पुन: समीक्षा की गई है। अरूणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थित बनी हुई है। विद्रोही संगठन सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों का सहारा लेने के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जबरन धन-वसूली में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से सुधार हुआ है। केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बल्कि इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है;
- 4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर केन्द्र सरकार की यह राय है कि तीरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती को जारी रखा जाना चाहिए। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 31 मार्च, 2004 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम.जेड.]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सिचव (एन ई)

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2003

Ref: Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

- S.O. 1149(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid to civil power was necessary, and
- 2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;
- 3. The situation was last reviewed in March 2003 and vide Notification bearing S.O. 365(E) dated 31-3-2003, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 30-9-2003, a further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency. The insurgent outfits have been including in large-scale extortion besides resorting to acts of violence directed against the security forces. The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has shown improvement. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified,
- 4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2004 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt Secy. (NE)



असाधारण

# EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] No. 296]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2003/चैत्र 11, 1925 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2003/CHAITRA 11, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603( अ )।

का.आ. 365( अ ).—यत:, अरूणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को गृह मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था, और

- 2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोपित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की 20~8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी।
- 3. स्थिति की पिछली बार सितंबर, 2002 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 30-9-2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 1050(अ) के तहत तीरप एवं चांगलांग की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अविध को 31-3-2003 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। अब तीरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की और समीक्षा की गई है। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में समीक्षाधीन अविध के दौरान सुरक्षा बलों और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.), एन.एस.सी.एन. (के) के बीच हुई मुठभेड़ों, इन विद्रोही संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर धन ऐंठने, एवं हिंसात्मक कार्य करने तथा शस्त्रों और गोलाबारूद की जब्ती की सूचना दी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि तीरप और चांगलांग से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल और सिविल बल मिलकर उग्रवाद से लड़ रहे हैं। अत: राज्य सरकार ने यह सिफारिश भी की है कि इन दो जिलों की अशांत जिलों के रूप में की गई घोषणा को जारी रखा जाए।
- 4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर केन्द्र सरकार की यह राय है कि तीरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती को जारी रखा जाना चाहिए। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना पहले वापस न लिए जाने की स्थिति में 30 सितंबर, 2003 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 13/27/99-एम.जेड.]

के. एस. रामासूब्बन, संयुक्त सचिव (बी एम)

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2003

Ref.: Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

- S.O. 365(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f.-17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, of armed forces in aid of civil power was necessary, and
- 2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;
- 3. The situation was last reviewed in September, 2002 and vide Notification bearing S.O. 1050(E) dated 30-9-2002, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 31-3-2003. A further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. The State Government has in their report detailed a number of encounters between Security Forces and NSCN(IM), NSCN(K), large-scale extortion, acts of violence by these insurgent outfits and seizure of arms and ammunition during the period under review. The State Government has reported that the Army, CPMF and Civil forces are jointly carrying counter insurgency operations to flush out militants from Tirap and Changlang. The State Government have, therefore, also recommended that these two districts be continued to be declared as disturbed.
- 4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September, 2003 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

K. S. RAMASUBBAN, Jt. Secy. (BM)



EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II -- Section 3 -- Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2003/आश्विन 9, 1925

No. 908 ]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2003/ASVINA 9, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2003

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603 ( अ )।

का.आ. 1149(अ).— यत: अरूणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को गृह मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थित में थे कि सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था; और

- 2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की 20-8-1997 से तीन माह की अविध के भीतर समीक्षा की जाएगी;
- 3. स्थित की पिछली बार मार्च, 2003 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 31-3-2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 365(अ) के तहत तीरप एवं चांगलांग की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अविध को 30-9-2003 तक बढ़ाने का निर्णय िलया गया था। तीरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थित की पुन: समीक्षा की गई है। अरूणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थित बनी हुई है। विद्रोही संगठन सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों का सहारा लेने के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जबरन धन-वसूली में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से सुधार हुआ है। केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बल्कि इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है;
- 4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर केन्द्र सरकार की यह राय है कि तीरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती को जारी रखा जाना चाहिए। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 31 मार्च, 2004 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम.जेड.]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव (एन ई)

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2003

Ref: Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

- S.O. 1149(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid to civil power was necessary; and
- 2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;
- 3. The situation was last reviewed in March 2003 and vide Notification bearing S.O. 365(E) dated 31-3-2003, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 30-9-2003, a further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency. The insurgent outfits have been indulging in large-scale extortion besides resorting to acts of violence directed against the security forces. The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has shown improvement. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified;
- 4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2004 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy. (NE)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# The Gazette of India

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

No. 333 ]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2004/चैत्र 11, 1926

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2004/CHAITRA 11, 1926

# गृह मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2004

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603( अ )

का.आ. 437(अ).--यतः अरूणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत इस मंत्रालय की ऊपर संदर्भित अधिसूचना के तहत दिनांक 17-9-1991 से इसलिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में, उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में आ गये थे कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक हो गया था, और

- 2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिए गए एक बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत ''अशांत क्षेत्र'' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की दिनांक 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी।
- 3. स्थिति की पिछली बार सितम्बर, 2003 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 30 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1149(अ) के तहत तिरप एवं चांगलांग की ''अशांत क्षेत्र'' के रूप में घोषणा की अवधि को दिनांक 31-3-2004 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तिरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की पुनः समीक्षा की गई है। अरूणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थिति यथावत् बनी हुई है। विद्रोही संगठन सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों का सहारा लेने के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जबरन धन-वसूली में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा ठठाए गए कदमों से स्थिति में मामूली सुधार दिखायी दिया है। केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बल्कि इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है।
- 4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, केन्द्र सरकार की यह राय है कि तिरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 30 सितम्बर, 2004 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

[फा.सं.13/27/99-एम.जेड.]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त संखिव (एन.ई.)

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2004

# Ref.: Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991

- S.O. 437(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and
- 2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;
- 3. The situation was last reviewed in September, 2003 and vide Notification bearing S.O. 1149(E) dated 30th September, 2003, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' up to 31-3-2004. A further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency. The insurgent outfits have been indulging in large-scale extortion besides resorting to acts of violence directed against the security forces. The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has shown some signs of improvement. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified.
- 4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exists for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September, 2004 unless withdrawn earlier.

[F.No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secv. (NE)

The Control of the Control

The state of the s

Control of the Miles

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 843] No. 843] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2004/आश्विन 8, 1926 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2004/ASVINA 8, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603(अ)

का.आ. 1071(अ).—यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतरांत इस मंत्रालय की ऊपर संदर्भित अधिसूचना के तहत दिनांक 17-9-1991 से इसलिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में, उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में आ गए थे कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक हो गया था, और

- यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिए गए एक बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की दिनांक 20-8-1997 से तीन माह की अविध के भीतर समीक्षा की जाएगी।
- 3. स्थित की पिछली बार मार्च, 2004 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 31 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 437(अ) के तहत तिरप एवं चांगलांग की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अविध को दिनांक 30-9-2004 तक बढ़ाने का निर्णय िलया गया था। तिरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थित की पुन: समीक्षा की गई है। नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड के दो गुटों, जो अपने आधिपत्य का प्रयास करने के अतिरिक्त विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में भी संलिप्त हैं, के बीच चल रही जमीनी लड़ाई की वजह से अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थित बनी हुई है। ऐसी सूचना है िक भूटान में यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम के शिविरों को बंद किए जाने के परिणामस्वरूप यह संगठन असम में अपनी पैठ बनाने के लिए इन दो जिलों को अपने ठिकानों के रूप में प्रयोग कर रहा है। रिपोर्टों से अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों में अरुणाचल ड्रैगन फोर्स (ए.डी.एफ.), नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन.डी.एफ.बी.) काडरों की मौजूदगी तथा उनके द्वारा आंदोलन चलाए जाने की भी पुष्टि हुई है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विद्रोह के स्तर में कमी आई है। केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बल्क इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है।
- 4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, केन्द्र सरकार की यह राय है-कि तिरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 31 मार्च, 2005 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम.जेड.] राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS


### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2004

Ref.: Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991

- S.O. 1071(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and
- 2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;
- 3. The situation was last reviewed in March, 2004 and *vide* Notification bearing S.O. 437(E) dated 31st March, 2004, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 30-9-2004. A further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency, with an ongoing turf war between two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN), who apart from striving for domination, are also indulging in unlawful activities. Consequent to closure of its camps in Bhutan, United Liberation Front of Assam is also reported to be using bases in these two districts to make forays into Assam. Reports also confirm the presence and movement of Arunachal Dragon Force (ADF), National Liberation Front of Arunachal Pradesh and National Democratic Front of Bodoland (NDFB) cadres in Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh. The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has brought down the level of insurgency. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified.
- 4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2005 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ] RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.





### EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ३३०] No. 330]

नई दिल्ली, बुहस्पतिवार, मार्च 31, 2005/चेत्र 10, 1927 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2005/CHAITRA 10, 1927

गृह मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603( अ )

का.आ. 460(अ).— यतः अरूणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को सशस्त्र बल ( विशेष शक्तियां) अधिनियम,1958 के अंतर्गत इस मंत्रालय की ऊपर संदर्भित अधिसूचना के तहत दिनांक 17.9.1991 से इसलिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में, उद्ग जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में आ गये थे कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक हो गया था, और

- यतः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिये गये एक बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत " अशांत क्षेत्र" घोषित किये जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की दिनांक 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जायेगी।
- स्थिति की पिछली बार सितम्बर, 2004 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 30 सितम्बर 2004 की अधिसूचना सं.का.आ.1071(अ) के तहत तिरप एवं चांगलांग की " अशांत क्षेत्र" के रूप में घोषणा की अवधि को दिनांक 31.3.2005 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।तिरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुनः समीक्षा की गई है । अरूणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थिति यथावत् बनी हुई है। साथ ही नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल

(एन एस सी एन) के दोनों गुटों के बीच अपने वर्चस्व को बनाए रखने के प्रयास के अतिरिक्त आपसी संघर्ष भी चल रहा है और वे विधिविरूद्ध क्रियाकलापों में भी संलिप्त हैं। ऐसी सूचना भी है कि असम का यूनाइटेड लिबरेशन फंट भूटान में अपने शिविरों के बंद होने के परिणामस्वरूप असम में हिंसा फैलाने के लिए इन दोनों जिलों में अड्डों का प्रयोग कर रहा है। अरूणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों में अरूणाचल ड्रेगन फोर्स (ए डी एफ), अरूणाचल प्रदेश के नेशनल लिबरेशन फंट तथा बोडोलैंड के नेशनल डेमोक्रेटिक फंट (एन डी एफ बी) के काडरों की मौजूदगी तथा हलचल की सूचना की भी अभिपुष्टि हुई है। विद्रोही संगठन सुरक्षा बलों के विरूद्ध हिसंक कार्रवाइयों का सहारा लेने के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जबरन धन-वसूली में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विद्रोह के स्तर में कुछ कमी आई है। केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बिल्क इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है।

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, केन्द्र सरकार की यह राय है कि तिरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 30 सितम्बर, 2005 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम.जेड] राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2005

Ref: Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 460(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

- 2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20.8.1997;
- 3. The situation was last reviewed in September 2004 and vide Notification bearing SO 1071(E) dated 30th September 2004, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 31.03.2005. A further review of the law & order situation in Tirap & Changlang districts has since been undertaken. districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency, with an on-going turf war between two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN), who apart from striving for domination, are also indulging in unlawful activities. Consequent to closure of its camps in Bhutan, United Liberation Front of Assam is also reported to be using bases in these two districts to make forays into Assam. Reports also confirm the presence and movement of Arunachal Dragon Force (ADF), National Liberation Front of Arunachal Pradesh and National Democratic Front of Bodoland (NDFB) cadres in Tirap and Changlang districts of Arunachal The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has brought down the level of insurgency. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified.
- 4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17<sup>th</sup> September 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30<sup>th</sup> September 2005 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]
RAJIV AGARWAL, Jt. Secv.

# HRAA ISUS The Gazette of India

### असाधारण

# EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

чं. 1051] No. 1051] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2005/आश्विन 8, 1927

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2005/ASVINA 8, 1927

# गृह मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2005

का.आ. 1431(अ).—यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 603(अ) के माध्यम से सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार का विचार था कि उक्त जिलों की स्थित इतनी अशान्त और खतरनाक हो गयी थी कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था।

- 2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर अपने अभिकथन में भारत सरकार ने उल्लेख किया है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत ''अशान्त क्षेत्र'' की घोषणा करने के सम्बन्ध में सभी अद्यतन अधिसूचनाओं की 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के अन्दर समीक्षा की जाएगी।
- 3. हालात की पिछली बार मार्च, 2005 में समीक्षा की गयी तथा दिनांक 31 मार्च, 2005 के का.आ. 460(अ) की अधिसूचना के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को ''अशान्त क्षेत्र'' के रूप में घोषित करने की अविध को 30 सितम्बर, 2005 तक बढ़ा दिया था। इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गयी है। अरुणाचल प्रदेश के ये दोनों जिले विद्रोह ग्रस्त हैं। इन दोनों जिलों में नेशनल सोसिलस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दोनों धड़ों की तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) की हिंसक गतिविधियां जारी हैं। इन दोनों जिलों को विद्रोहियों विशेषकर नेशनल सोसिलस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दोनों धड़ों तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) द्वारा पड़ोसी देशों से शस्त्र एवं गोलाबारूद लाने ले जाने के लिए पारगमन मार्गों के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के इन दोनों जिलों में सुरक्षा बलों द्वारा विद्रोह विरोधी सतत प्रचालनों और राज्य सरकार द्वारा किए परयासों से सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है फिर भी केन्द्रीय सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल बरकरार रखा जाए बल्कि उन्हें तीव्र कर दिया जाए।
- 4. उपर्युक्त के आलोक में केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां अभी भी ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जा सकता है। अत: यह निश्चय किया गया है कि मंत्रालय द्वारा उल्लिखित दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना को 31 मार्च, 2006 तक, बशर्ते की यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रखा जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम जैड] एच. एस. ब्रह्मा, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS

# NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2005

- S.O. 1431(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and
- 2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;
- 3. The situation was last reviewed in March, 2005 and vide Notification bearing S.O. 460(E) dated 31st March, 2005, tenure of the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachai Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2005. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency. The violent activities of two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and United Liberation Front of Assam (ULFA) in these two districts continue. These districts are also being used as transit route by insurgents especially the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and United Liberation Front of Assam (ULFA) for transshipment of arms and ammunitions from neighbouring country. Though the security situation in these two districts of Arunachal Pradesh is under control due to sustained counter-insurgency operations by the Security Forces and steps taken by the State Government, the Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified.
- 4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2006 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

H. S. BRAHMA, Jt. Secy.

## HRA का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] No. 318] नई दिल्ली, सुक्रवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

का. आ. 475(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की द्विधसूचना संख्या का.आ. 603(अ) के माध्यम से सशस्त्र सेना (विशेष शिक्तवां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गयी थी कि वहां सिविल शिक्त की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था।

- 2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 'अशान्त क्षेत्रों' की घोषणा की आविधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा को सितम्बर 2005 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाया गया।
- 3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गयी है। अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में विद्रोह से संबंधित परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैन्ड (एन एस सी एन) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) दोनों गुटों द्वारा सुरक्षा बलों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाइयों सहित जबरन धन वसूली तथा हिंसक कार्रवाइयों सतत् रूप से की जा रही हैं। एन एस सी एन के गुटों के बीच पारस्परिक दुश्मनी के कारण भी इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी है। अत: अरुणाचल प्रदेश के इन दोनों जिलों में विद्रोही गुटों के विरुद्ध प्रभावी विद्रोह-रोधी अभियान चलाया जाना आवश्यक है।
- 4. अत: केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अत: यह निर्णय किया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना को 30 सितम्बर, 2006 तक, बशर्ते कि यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रखा जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एमजैंड]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006

- S. O. 475(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.
- 2. Supreme Court of India vide their judgment dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed, inter alia, that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2005 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 3 list March, 2006.
- 3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The insurgency related scenario in these districts of Arunachal Pradesh remains unchanged. The two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to extort and indulge in acts of violence including those directed against the security forces. Intergroup rivalry between the factions of NSCN has also vitiated the law and order situation in these two districts. Therefore, effective counterinsurgency operation against the insurgent outfits in these two districts of Arunachal Pradesh is necessary.
- 4. The Central Government is, therefore, of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exists for the use of the Armed Forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force up to 30th September, 2006 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.



# HRAA IN UNIVA The Gazette of India

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 1151] No. 1151] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 2006/आश्विन 8, 1928

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2006/ASVINA 8, 1928

गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2006

का.आ. 1641(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचना के माध्यम से सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 7-9-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गयी थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था।

- 2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 'अशान्त क्षेत्रों' की घोषणा की आविधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा की मार्च, 2006 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 30 सितम्बर, 2006 तक बढ़ाया गया।
- 3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गयी है। अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में विद्रोह से संबंधित परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबिक नेशनल सोशिलस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशिलस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिब्नेशन फ्रन्ट ऑफ असम गुटों द्वारा अरूणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों के गाँवों में जबरन धन वसूली तथा हिंसक कार्रवाइयां सतत रूप से की जा रही हैं, नेशनल सोशिलस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के दो गुटों के बीच पारस्परिक दुश्मनी के कारण इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ गयी है। ये भूमिगत गुट इन दोनों जिलों के रास्तों का इस्तेमाल अन्य देशों से प्राप्त किए गए शस्त्रों और गोला बारूद को पड़ोसी राज्यों असम एवं नागालैंड में भेजने के लिए भी करते हैं।
- 4. अत: केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अत: यह निर्णय किया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना को 31 मार्च, 2007 तक, बशर्त कि यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रखा जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम जैड] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2006

- S. 0. 1641(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.
- 2. Supreme Court of India vide their judgement dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed interalia that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2006 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2006.
- 3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The insurgency related scenario in these districts of Arunachal Pradesh remains unchanged. While National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah), National Socialist Council of Nagaland (Khaplang), and United Liberation Front of Assam continue to indulge in extortion and acts of violence in the villages of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh, the Inter Group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) further vitate the law and order situation in these two districts. These Under Ground outfits also use these two districts as transit route for transshipment of arms and ammunitions procured from other Countries to neighbouring States of Assam and Nagaland.
- 4. The Central Government is, therefore, of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and the conditions exists for the use of the Armed Forces in aid of civil power. It has therefore, been decided that the Notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2007 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.



# HRA an Ishual The Gazette of India

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II — Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2007/चैत्र 10, 1929

No. 346]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2007/CHAITRA 10, 1929

### गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2007

का.आ. 505(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 603(अ) के माध्यम से सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-09-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से,उक्त जिलों की स्थित इतनी अशान्त और खतरनाक हो गई थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था।

- 2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्रों' की घोषणा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा की सितम्बर, 2006 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 31 मार्च, 2007 तक बढ़ाया गया।
- 3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गई है। अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में विद्रोह से संबंधित परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबिक नेशनल सोशिलस्ट कार्डोसल ऑफ नागालैण्ड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशिलस्ट कार्डोसल ऑफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिब्नेशन फ्रांट ऑफ असम (उल्फा) गुटों द्वारा जबरन धन वसूली तथा सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों में लिप्त रहना जारी रखा गया है। नेशनल सोशिलस्ट कार्डोसल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दो गुटों के बीच पारस्परिक दुश्मनी के कारण इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थित और भी बिगड़ गई है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रांट ऑफ असम (उल्फा) के काडर चांगलांग जिले के रास्तों का इस्तेमाल भारत से म्यांमार में शस्त्रों और गोला बारूद भेजने के लिए करते हैं।
- 4. अतः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शिक्त की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना को 30 सितम्बर, 2007 तकः; बशतें कि यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रखा जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एनई II] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2007

- S.O. 505(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.
- 2. Supreme Court of India vide their judgement dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed, inter-alia, that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2006 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2007.
- 3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The insurgency related scenario in these districts of Arunachal Pradesh remains unchanged. National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to indulge in extortion and acts of violence including those directed against Security Forces. Intense intergroup rivalry also exists between the two factions of National Socialist Council of Nagaland vitiating the law and order situation in these two districts. The cadres of United Liberation Front of Assam (ULFA) have been using the Changlang district as corridor for to and fro movement from India to Myanmar.
- 4. The Central Government is, therefore, of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and the conditions exist for the use of the Armed Forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September, 2007, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE-II] NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

# HRA Sazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड ३—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 1185] No. 1185] नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 30, 2007/आश्विन 8, 1929 NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 30, 2007/ASVINA 8, 1929

### गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2007

का.आ. 1685(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 603 (अ) के माध्यम से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशान्त क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त जिलों की स्थित इतनी अशान्त और खतरनाक हो गयी थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था।

- 2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 'अशान्त क्षेत्रों' की घोषणा की आविधक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा की नार्च, 2007 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 30 सितम्बर, 2007 तक बढ़ाया गया।
- 3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गयी है। अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में विद्रोह से संबंधित परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेशनल सोशिलस्ट काउम्सिल आफ नागालैण्ड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशिलस्ट काउम्सिल आफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट आफ असम (उल्फा) गुटों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में जबरन धन वसूली तथा सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों में लिप्त रहना जारी रखा गया है। ये संगठन इन दो जिलों का प्रयोग पड़ौसी देशों से शस्त्र एवं गोलाबारूद लाने के लिए भी कर रहे हैं। नेशनल सोशिलस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के दो गुटों के बीच पारस्परिक दुश्मनी के कारण इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और भी बिगड गयी है।
- 4. अतः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना 31 मार्च, 2008 तक, बशर्ते कि यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रहेगी ।

[फा. सं. 13/27/99-एनई-II] वी. एन. गौड़, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2007

- S.O. 1685(E).—Tirap and Changlang Districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. 603 (E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.
- 2. Supreme Court of India vide their judgment dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed, inter alia, that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'distrubed areas' was last reviewed in March, 2007 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 30th September, 2007.
- 3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to include in extortion and acts of violence including those directed against Security Forces in these two districts of Arunachal Pradesh. These outfits have also been using these two districts for transhipment of arms and ammunition from neighbouring countries. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) has also vitiated the law and order situation in these two districts.
- 4. The Central Government is, therefore, of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh is disturbed and the conditions exist for the use of the Armed Forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force up to 31st March, 2008, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE-II] V. N. GAUR, Jt. Secy.

# The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड ३ — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] No. 422]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2008/चैत्र 11, 1930

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2008/CHAITRA 11, 1930

### गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2008

का.आ. 782(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 603(अ) के द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गई थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी था।

- 2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्देश दिया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' की घोषणा की आविधक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं वांगलांग जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा की सितम्बर, 2007 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 31 मार्च, 2008 तक बढ़ाया गया।
- 3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गई है। नेशनल सोशलिस्ट कार्डोसल ऑफ नागालैण्ड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशलिस्ट कार्डोसल ऑफ नागालैण्ड (खपलांग) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) गुटों द्वारा जबरन धन वसूली तथा सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाईयों में लिप्त रहना जारी रखा गया है। पड़ोसी देशों से शस्त्र एवं गोलाबारूद लाने के लिए ये उग्रवादी संगठन इन दोनों जिलों को लगातार ट्रांजिट रूट की तरह प्रयोग कर रहे हैं। नेशनल सोशलिस्ट कार्डोसल ऑफ नागालैण्ड के दोनों गुटों के मध्य अत्यधिक पारस्परिक शत्रुता लगातार बनी हुई है

और इससे इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही हैं।

4. केन्द्रीय सरकार का मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत तिरप और चांगलांग जिलों को 'अशान्त क्षेत्र' घोषित किए जाने को 1 अप्रैल, 2008 से और छह (06) माह की अविध के लिए, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए, जारी रखना आवश्यक है।

> [फा. सं. 13/27/99-एन.ई.-II] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2008

- S.O. 782(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991, vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.
- 2. Supreme Court of India vide their judgement dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed, inter alia, that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2007 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2008.
- 3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The

National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to indulge in extortion and acts of violence including those directed against Secutity Forces. These militant outfits continue to use these two districts as transit routes for transshipment of arms and ammunition from neighbouring countries. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland has also

continued and is vitiating the law and order situation in these two districts.

4. The Central Government is of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st April, 2008, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE-II]
NAVEEN VERMA, Jt. Secv.

# The Gazette of India

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—३प-खण्ड (ii) PART D-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

13811 No. 1381

नई दिल्ली, मंगलवार, सिलम्बर 30, 2008/आरियन 8, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2008/ASVINA 8, 1930

गृह मंत्रालय

### अधिसूचगा

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2008

का.आ. 2315(आ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितान्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 603(अ) के द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को अंतर्गत 17-9-1991 से अशान्त क्षेत्र को रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थित इतनी अशान्त और एउत्तरनाक हो गई थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सरास्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी था।

2. अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं जांगलांग जिलां की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा की पिछली बार मार्च, 2008 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 30 सितम्बर, 2008 तक बढाया गया।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गई है। इन दोनों जिलों में खिद्रोही गतिविधियों में वृद्धि का रुख प्रदर्शित हुआ है । नेशनल स्तेशिलिस्ट कार्टीसल ऑफ गागालैंड (इसाक/मुइवाह), नंशनल सोशलिस्ट काउँसिल ऑफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रांट ऑफ असप (उल्फा) गुटॉ द्वारा जबरन धन वसूली, भर्ती तथा सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिसक कार्रवाइयों में किए रहना जारी रखा गया है । अपने शिखरों से पड़ोसी देशों में आने-जाने के लिए ये उग्रवादी संगठन इन दोनों जिलों को लगातार ट्रांबिट रूट की तरह प्रयोग कर रहे हैं । नेसनल सोशिलस्ट कार्टीसल ऑफ भागालैण्ड के दोनों गुर्दे के पञ्च अत्यधिक पारस्परिक शतुता भी लगातार बनी हुई है और इससे इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ गई है।

4. अत: केन्द्रीय सरकार का मत है कि सशस्त्र वल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के वहत तिरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' घेषित किए जाने को । अक्तूबर, 2008 से और एड (6) माह की अवधि के लिए, तब तक कि इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए, जारी रखना आवश्यक है ।

> [फा. सं.-13/27/99-एन.ई.-II] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2008

- S.O. 2315(E).—Triap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as distrubed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.
- 2. The declaration of Tripp and Changland districts of Arunchal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2008 and the tenure of declaration of these two districts of Aramachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2008.
- 3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The activities of insurgents in these two districts have shown

an increasing trend. The National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to including in extortion, recruitment, and acts of violence including those directed against Security Forces. These militant outfits continue to use these two districts as transit routes for movement to and from their camps in neighbouring countries. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist

Council of Nagaland has also continued which has further vitiated the law and order situation in these two districts.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Triap and Changlang districts as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2008, unless withdrawn earlier.

[F. No.13/27/99-NE.-II] NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

# The Gazette of India

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸੰ. 552] No. 552]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2009/चैत्र 10, 1931

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2009/CHAITRA 10, 1931

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

का.आ. 890(अ)— अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की क्लिक 17.9.1991 की अधिसूचना संख्या 603 (अ) के द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17.9.1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थित इतनी अशान्त और खतरनाक हो गई थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी था।

- 2. अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा की पिछली बार सितम्बर, 2008 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 31 मार्च, 2009 तक बढ़ाया गया।
- 3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुनः समीक्षा की गई है। नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग), यूनाइटेड लिब्नेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड (एन डी एफ बी) इन दो जिलों में हिंसा की घटनाओं में सिलप्त रहना जारी रखे हुए हैं। ये संगठन इन दोनों जिलों में काडरों की भर्ती को भी जारी रखे हुए हैं तथा ग्रामीणों, व्यवसायियों और सरकारी कर्मचारियों से जबरन धन-वसूली में भी लगे हुए हैं। इन दोनों जिलों को भूमिगत संगठनों द्वारा पड़ोसी देशों में स्थित अपने शिविरों में आने-जाने के लिए ट्रांजिट मार्गों के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के इन दोनों गुटों के बीच तीव्र अन्तर-दलीय दुश्मनी भी बनी हुई है जिससे इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति और खराब हो गई है।

4. अतः, केन्द्रीय सरकार का मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने को 01 अप्रैल, 2009 से और छह (6) माह की अवधि के लिए, तब तक कि इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए, जारी रखना आवश्यक है।

> [फा. सं. 13/27/99-एन.ई.-II] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2009

- s.o. 890(E).— Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17.9.1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.
- 2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2008 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31<sup>st</sup> March, 2009.
- 3. A further review of the law & order situation in these two districts has since been undertaken. The National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah), National Socialist Council of Nagaland (Khaplang), United Liberation Front of Asom (ULFA) and National Democratic Front of Boroland (NDFB) continue to be involved in incidents of violence in these two districts. These outfits also continue recruitment of cadres in these two districts and have also been indulging in forcible extortion from villagers, businessmen and Government employees. These two districts are also being used by the underground outfits as transit routes for movement to and from their camps in neighbouring country. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland has also continued which has further vitiated the law & order situation in these two districts.
- 4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 01<sup>st</sup> April 2009, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-N.E.-II]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

# The Gazette of India

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं: 1573] .. No. 1573]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2009/आश्रियन 8, 1931 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2009/ASVINA 8, 1931

### गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2009

का.आ. 2496(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603 (अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शिक्तयां) अधिनियम, 958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार के मतानुसार उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शिक्त की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग जावश्यक था।

- 2. 'अशांत क्षेत्रों के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार मार्च, 2009 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 30 सितम्बर, 2009 तक बढ़ाया गया।
- 3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थित की अब और समीक्षा की गई है। वर्ष 2009 के दौरान (15 अगस्त, 2009 तक) इन दो जिलों में अपहरण, हमले, अन्तर-गुटीय संघर्ष, हत्या आदि से संबंधित हिंसा की 34 घटनाएं हुई हैं। नेशनल सोशिलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह) और नेशनल सोशिलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) जबरन धन वसूली और हिंसा की कार्रवाइयों में लगे हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों जिलों में लोगों के मन में भय व्याप्त है। नेशनल सोशिलिस्ट काउंसिल ऑफ

नागालैंड के इन दो गुटों के बीच तेज हुई अन्तर-गुटीय दुश्मनी से इन दोनों जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति और विगड गई है। नेशनल सोशिलिस्ट कार्जेंसल ऑफ नागालैंड (खापलांग) और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम द्वारा इन दोनों जिलों का प्रयोग म्यांमार में अपने शिविरों के लिए ट्रॉजिट मार्गों के रूप में भी किया जा रहा है।

4. अत: केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की घोषणा को 1 अक्तूबर, 2009 से अगले छंह (6) माह की अविधि तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक हैं।

> [फा. सं. 13/27/99-एन. ई. II] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2009

S.O. 2496(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

- 2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2009 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2009.
- 3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. During 2009 (Upto 15th August, 2009) there have been 34 incidents of violence relating to abduction, assault, intergroup clash, killing etc. in these two districts. The National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) continue to engage themselves in extortions and acts of violence as a result of which fear psychosis prevails in these two districts. Intense inter-group rivalry between
- the two factions of National Socialist Council of Nagaland has further vitiated the law and order situation in these two districts. These two districts are also being used by cadres of National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Asom as transit routes to their camps in Myanmar.
- 4 The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2009, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE. II] NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

# oaze

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3 -- Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं.** 6001 No. 6001

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2010/चैत्र 10, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2010/CHAITRA 10, 1932

गृह मंत्रालय

### अधिसचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

का, आ, 725(अ),—इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना सं 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17 सितम्बर, 1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खनग्नाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था ।

- 2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों की घांपणा की पिछली बार सितम्बर, 2009 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 31 मार्च, 2010 तक बढ़ाया भया ।
- 3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को अब आगं और समीक्षा की गई है। इन दोनों जिलों में विभिन्न भूमिगत संगठन, जबरन धन वसूली, व्यपहरण और अपहरण में निरंतर सॉलप्त हैं। उग्रवादी संगठनों के बीच जबर्दस्त दुश्मनी से इन दोनों जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति और विगड़ रही है । यूनाइटेड लिवरंशन फ्रांट ऑफ असोम (उल्फा) के काडर कथित रूप से इन दोनों जिलों का प्रयोग म्यांमार में अपने शिविशों तक पारगमन हेतु कर रहं हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों की समय-समय पर होने वाली गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भी देखी गई हैं।

4. अत: केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को । अप्रैल, 2010 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जर तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक हैं।

> [फा. सं. 13/27/99-एन.ई. 11] नवीन वर्मा, संयक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2010

S.O. 725(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17th September, 1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17th September, 1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2009 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 31st March, 2010.

- 3. The law and order situation in these two districts has been reviewed further. Various Underground outfits continue to engage in extortion, kidnapping and abduction in these two districts. The intense rivalry between militant outfits also continues to vitiate the law and order situation in these two districts. Cadres of United Liberation Front of Asom (ULFA) reportedly use these districts for transit to their camps in Myanmar. Occasional movement of militants outfits operating in other areas have also been noticed in Changlang District of Arunachal Pradesh.
- 4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st April, 2010, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13 27/99-NE.II] NAVEEN VERMA Jt. Secy

# सत्यमेव जयते The Gazette of India

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 2033] No. 20331 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2010/आश्विन 8, 1932

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2010/ASVINA 8, 1932

गृह मंत्रालय अधिसचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2010

का.आ. 2393(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 को अधिसूचना सं. 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और र्वागलांग जिलों को दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि कंन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और न्त्रतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र वनों का प्रयोग आवश्यक था।

- 2 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और बांगलांग जिलों की घांषणा की पिछली बार मार्च, 2010 में समीक्षा की गई थीं और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 30 सितम्बर, 2010 तक बढ़ाया गया।
- 3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब आगं और समीक्षा की गई है। यद्यपि इन दो जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिर्विधयां स्पष्ट नहीं हैं, नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड (एन एम सी एन) के दो गुट अन्तर-गुटीय झगड़ों, जबरन धन-वसूली तथा काडरों की भर्ती में निरंतर संलिप्त हैं। भूमिगत संगठनों के काडर इन जिलों का प्रयोग कथित रूप से म्यांमार में अपने शिविरों तक अपं/जाने के मार्ग के रूप तथा शस्त्र तथा गोलाबारूद के अवैध त्यापार के लिए भी करते हैं।
- 4. अतः केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को । अक्तूबर, 2010 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक कि इसे इसमें पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन.ई. 11]

आर.आर. झा, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2010

- S.O. 2393 (E). Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government. the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary,
- 2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2010 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 30th September, 2010.
- 3. The law and order situation in these two districts has been reviewed further. Although the violent activities of insurgents in these two districts are not pronounced the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes, extortion and recruitment of cadres. Cadres of Under Ground outfits reportedly use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking for arms and ammunitions.
- 4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October 2010, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE.II]

R.R. JHA, Jt. Secy



**EXTRAORDINARY** 

भाग [[—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5521

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2011/चैत्र 10, 1933

No. 5521

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2011/CHAITRA 10, 1933

### गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

का.आ. 667(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शिक्तयां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था।

- 2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और वांगलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार सितम्बर, 2010 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 31 मार्च, 2011 तक बढाया गया।
- 3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थित की अब आगे और समीक्षा की गई है। यद्यपि इन दो जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां स्पष्ट नहीं हैं, नेशनल सोशिलस्ट ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के दो गुट अन्तर-गुटीय झगड़ों, जबरन धन-वसूली तथा काडरों की धर्ती में निरंतर सॉलप्त हैं। भूमिगत संगठनों के काडर इन जिलों का प्रयोग कथित रूप से म्यांमार में अपने शिविरों तक आने/जाने के मार्ग के रूप में तथा शस्त्र एवं गोलाबाहद के अवैध व्यापार के लिए भी करते हैं।
- 4. अत: केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को 1 अप्रैल, 2011 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन.ई. II] शंभु सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

- S.O. 667(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991, vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.
- 2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2010 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2011.
- 3. The law and order situation in these two districts has been reviewed further. Although the violent activities of insurgents in these two districts are not pronounced, the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes, extortion and recruitment of cadres. Cadres of Under Ground outfits reportedly use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking for arms and ammunitions.
- 4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st April, 2011, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-N.E. II] SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

1179 GI/2011

# The Gazette of India

**EXTRAORDINARY** 

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 1904]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2011/आश्विन 8, 1933

No. 19041

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2011/ASVINA 8, 1933

### गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2011

का.आ. 2294(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था।

- 2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और वांगलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार मार्च, 2011 में समीक्षा ही गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जलों की घोषणा की अवधि को 30 सितम्बर, 2011 तक बढ़ाया गया।
- 3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब नागे और समीक्षा की गई है। यद्यपि इन दो जिलों में विद्रोहियों की हंसक गतिविधियां स्पष्ट नहीं हैं, नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड एन एस सी एन) के दो गुट अन्तर-गुटीय झगड़ों में संलिप्त बने हुए , और विभिन्न भूमिगत संगठन जबरन धन-वसूली तथा काडरों की र्ती में भी निरन्तर संलिप्त हैं। इन भूमिगत संगठनों के काडर इन तलों का प्रयोग कथित रूप से म्यांमार में अपने शिविरों तक ाने/जाने के मार्ग के रूप में तथा शस्त्र एवं गोलाबारूद के अवैध गपार के लिए भी करते हैं।
- 4. अत: केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष वितयां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप ार चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को अक्तूबर, 2011 सं अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन.ई. II] कमल कान्त मित्तल, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2011

- S.O. 2294(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E), dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.
- 2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2011 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2011.
- 3. The law and order situation in these two districts has been reviewed further. Although the violent activities of insurgents in these two districts are not pronounced, the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter factional clashes, and various Under Ground outfits continue to engage in extortion and recruitment of cadres also. Cadres of these Under Ground outfits reportedly use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking for arms and ammunitions.
- 4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2011, unless withdrawn earlier.

[F. No.13/27/99-NE.II] K. K. MITTAL, Jt. Secv.

94 GI/2011

## HRA En USIUSI The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

स 619]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2012/चैत्र 11, 1934

No. 619]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2012/CHAITRA 11. 1934

गृह मंत्रालय अधिसचना

नई दिल्ली 31 मार्च, 2012

का.आ. 706(अ) इस मंत्रालय की दिनांक 17.09.1991 की अधिसूचना सं. 603 (अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चागलाग जिलों को दिनांक 17.09.1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अतर्गत अशात क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था।

- 2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चागलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार सितम्बर, 2011 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषाणा की अविधि को 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाया गया।
- 3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब आगे और समीक्षा की गई है। यद्यपि इन दो जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां स्पष्ट नहीं है, नेशनल सोशिलस्ट ऑफ नागालैड (एन एस सी एन) के दो गुट अन्तर-गुटीय झगड़ों में संलिप्त है, और विभिन्न भूमिगत सगठन् जबरन धन-वसूली तथा काडरों की भर्ती में भी निरंतर सिल्त हैं। दोनों गुट तीरप और चागलांग जिलों में स्थानीय राजनेताओं को भी इराते रहे हैं। इन भूमिगत संगठनों के काडर इने जिलों का प्रयोग किथत रूप से म्यांमार में अपने शिविरों तक आने/जाने के मार्ग के रूप में तथा शस्त्र एव गोलाबारूद के अवैध व्यापार के लिए भी करते हैं। इन संगठनों के कॉडर चांगलांग जिला के देशज रंगफ्राह धर्म के अनुयायियों के धार्मिक कार्यकलापों में भी हस्तक्षेप करते रहे हैं।

4. अतः केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को 1 अप्रैल, 2012 से अगले छह (6) माह की अविध तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एनं ई. II]

शंभू सिंह सयुक्त सचिव-

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2012

s.o.706(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17.9.1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

- 2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2011 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31<sup>st</sup> March, 2012.
- 3. The law & order situation in these two districts has been reviewed further. Although the violent activities of insurgents in these two districts are not pronounced, the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter factional clashes, and various Under Ground outfits continue to engage in extortion and recruitment of cadres also. Both the factions also continue to threaten the local politicians in Tirap and Changlang Districts. Cadres of these Under Ground outfits reportedly use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking for arms and ammunitions. These outfit cadres continue to interfere in the religious activities of the indigenous Rangfrah Faith followers of District Changlang also.
- 4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 01<sup>st</sup> April 2012, unless withdrawn earlier.

[F No. 13/27/99-NE. II] SILAMBIIU SINGH, Jt. Secy.

# He Gazette of India

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1426] No. 1426] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2012/श्रावण 9, 1934 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2012/SHRAVANA 9, 1934

### गृह मंत्रालय अधिसूचना

ं नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2012

का.जा. 1725(जा).— जनकि गृह मंत्रालय ने दिनांक 31 मार्च, 2012 की सं का.आ. 706(अ) के द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिले को दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से अगले छह महीने की अवधि के लिए, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में जारी रखे जाने की घोषणा की थी।

- 2. जबिक, अरुणाचल प्रदेश के तिर्प जिले से हाल ही में एक नया जिला 'लोंगडिंग' बनाया गया है जिसे राज्य सरकार की दिनांक 9 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना सं एल ए डब्ल्यू/एल ई जी एन-10/2011 के तहत अधिसुचित किया गया है।
- 3. जबिक, नवगठित जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। तिरप, चांगलांग और नवसृजित 'लोंगडिंग' जिले में विभिन्न एन एस सी एन गुटों की विद्रोही/भूमिगत गितविधियां जारी हैं। इसलिए, केन्द्रीय सरकार की राय है कि अरुणाचल प्रदेश के 'लोंगडिंग' जिले को भी सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में शामिल किया जाए।
- 4. अत: केद्रीय सरकार दिनांक 31 मार्च, 2012 के सं का आ 706(अ) के तहत जारी अधिसूचना के आंशिक आशोधन में, एतदद्वारा अरुणचल प्रदेश के 'लोंगडिंग' जिले को इसे नए जिले के रूप में गठित किए जाने की तारीख से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, शामिल करती है, जिसकी आगे तिरप एवं चांगलांग जिलों की समीक्षा के साथ समीक्षा की जाएगी।

[फा. सं. 13/27/99/एन ई-1]]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2012

S.O. 1725(E).—Whereas, the Ministry of Home vide No. S.O.706 (E) dated 31st March, 2012 declared the continuation of Tirap and Changlang Districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 w.e.f. 1st April, 2012 for a further period of six months, unless withdrawn earlier.

- 2. Whereas, a new district 'Longding' has been recently carved out from the Tirap District of Arunachal Pradesh notified vide State Government Notification No. LAW/LEGN-10/2011 DATED 09th December, 2011.
- 3. Whereas, the law and order situation in the newly formed district was reviewed. The insurgency/Under Ground activities of various NSCN factions are continuing in Tirap, Changlang and in the newly created Longding district. The Central Government is, therefore, of the opinion that the 'Longding' district in Arunachal Pradesh also be included as 'Disturbed Area' under Armed Forces (Special Power) Act, 1958.
- 4. The Central Government, hence, in partial modification of the notification issued vide No. S.O. 706 (E) dated 31st March, 2012, hereby includes the district 'Longding' of Arunachal Pradesh as 'disturbed area' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 with effect from the date of its formation as new district, unless withdrawn earlier, which may be further reviewed, along with review of Tirap and Changlang districts.

[F. No. 13/27/99/NE-11]

SHAMBHU SINGH, Jr. Secy.

2843 Gl/2012



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1960] No. 1960] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2012/आशिवन 6, 1934

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2012/ASVINA 6, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2012

का.आ. 2341(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शिक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शिक्त की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था।

- 2. अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों की 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में घोषणा की पिछली बार मार्च, 2012 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 30 सितम्बर, 2012 तक बढाया गया।
- 3. लांगडींग जिले (तीरप जिले में से बने) को भी इस मंत्रालय की दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था।
- 4. इन तीन जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब आगे और समीक्षा की गई है। इन तीन जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गितिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। नेशनल सोशिलस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के दो गुट अन्तर-गुटीय झगड़ों में संलिप्त हैं। इसके अलावा, नागा संगठनों के अतिरिक्त, यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर में स्थित कुछ भूमिगत संगठन इन जिलों का प्रयोग म्यांमार में अपने शिविरों तक आने/जाने के मार्ग के रूप में तथा शस्त्र एवं गोलाबारूद के अवैध व्यापार के लिए भी करते हैं। इसके अतिरिक्त, एन एस सी एन के दोनों गुटों के कॉडर अपने आदेशों को मानने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के उद्देश्य से चुनाव प्रिक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं तथा विभिन्न गिरजाघरों के माध्यम से स्थानीय जनता को प्रभावित करते हैं और स्थानीय रंगफ्राह पंथ के अनुयायियों की धार्मिक गितिविधियों में हस्तक्षेप जारी रखे हुए हैं।
- 5. अत: केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप, चांगलांग और लांगडींग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को 1 अक्तूबर, 2012 से अगले छह (6) माह की अविध तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन ई. II]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2012

- S.O. 2341(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E), dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.
- 2. The declaration of Tirap and Changlang, districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2012 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 30th September, 2012.
- 3. The Longding district (carved out of Tirap district) was also declared as 'disturbed area' vide this Ministry's notification dated 30th July 2012.
- 4. The law and order situation in these three districts has been reviewed further. The violent activities of insurgents in these three districts remained unchanged. The two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes. Further, apart from Naga outfits, the United Liberation Front of Assam (ULFA) and some Manipur based Under Ground outfits use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking for arms and ammunitions. Besides, the cadre of both the factions of NSCN also interfere in electoral process with a view to influence the election outcome in favour of candidates amenable to their dictates and try to influence the local population through various churches and continue to interfere in the religious activities of the indigenous Rangfrah Faith followers.
- 5. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2012, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE, II]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

# HRAA AN UNIONALIA The Gazette of India

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2013/चैत्र 7, 1935

No. 7321

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2013/CHAITRA 7, 1935

### गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2013

का.आ. 840(अ).—अरूणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिले को इस मंत्रालय के दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं 603(अ), के तहत दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शिक्तयां) अधिनियम, 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राय में, उक्त जिले ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि नागरिक शिक्त की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक था।

- 2. लॉंगडिंग जिले (तिरप जिले में से बनाया हुआ) को भी इस मंत्रालय की दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था।
- 3. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लॉॅंगडिंग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की आखिरी बार समीक्षा सितम्बर, 2012 में की गई थी तथा अरुणाचल प्रदेश के इन तीन जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की वैधता को 31 मार्च, 2013 तक बढ़ाया गया था।
- 4. इन तीन जिलों में कानून एवं व्यवस्था की आगे समीक्षा की गई है। इन तीनों जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां अपरिवर्तित रहीं। राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के दो गुटों का अन्तर-गुटीय मुठभेड़ों में लिप्त रहना जारी है। इसके अतिरिक्त, एन एस सी एन के दोनों गुटों के कांडरों का स्वदेशी रंगफ्राह मत के अनुयायियों के धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप जारी है। एन एस सी एन अल्ट्रा मौद्रिक प्रतिफलों के लिए राजनैतिक नेताओं को डरा-धमकाकर जिलों के राजनैतिक क्रियाकलापों में भी

हस्तक्षेप करते हैं । नागा संगठनों के अलावा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के कतिपय भूमिगत संगठनों ने म्यामार में अपने शिविरों से/में आवाजाही तथा शस्त्रों एवं गोलाबारूदों के दुर्व्यापार के लिए इन जिलों का उपयोग साधन के रूप में करना जारी रखा है ।

5. इसलिए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लॉंगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शिक्तयां) अधिनियम, 1958 के तहत 1 अप्रैल, 2013 से आगे छ: (6) महीने की अविध के लिए जब तक कि पहल वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में बनाए रखना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99~एन ई-II] शम्भ सिंह, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2013

S.O. 840(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E), dated 17-9-1991, as in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of Armed Forces in aid of civil power was necessary.

2. The Longding district (carved out of Tirap district) was also declared as 'disturbed area' vide this Ministry's notification dated 30th July, 2012.

- 3. The declaration of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2012 and the validity of declaration of these three districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2013.
- 4. The law and order situation in these districts has been reviewed further. The violent activities of insurgents in these three districts remained unchanged. The two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes. Besides, the cadres of both the factions of NSCN continue to interfere in the religious activities of the indigenous Rangfrash faith followers. The NSCN ultras also interfere in the political activities of the Districts by intimidating political leaders
- for monetary considerations. Apart from Naga outfits, the United Liberation Front of Assam (ULFA) and certain Manipur based Under Ground outfits continue to use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking of arms and ammunitions.
- 5. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st April, 2013 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE-II] SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.



### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II — Section 3 — Sub-secton (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ੱਚ 2260] No. 2260] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2013/आश्विन 8, 1935 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2013/ASVINA 8, 1935

### गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2013

का. आ. 2938(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ), के तहत दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शिक्तयां)अधिनियम, 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राय में, उक्त जिले ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थित में थे कि नागरिक शिक्त की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक था।

- 2. लांगडिंग जिले (तिरप जिले में से बनाया हुआ) को भी इस मंत्रालय की दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था।
- 3. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की आखिरी बार समीक्षा मार्च, 2013 में की गई थी तथा अरुणाचल प्रदेश के इन तीन जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किए जाने की वैधता को 30 सितम्बर, 2013 तक बढ़ाया गया था।
- 4. इन तीन जिलों में कानून एवं व्यवस्था की आगे समीक्षा की गई है। इन तीनों जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां अपवर्तित रहीं। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के गुटों का अन्तर-गुटीय संघर्षों में संलिप्त रहना जारी है।

एन एस सी एन अल्ट्रास मौद्रिक प्रतिफलों के लिए राजनैतिक नेताओं को डरा-धमकाकर जिलों के राजनैतिक क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप करते हैं। भूमिगत नागा गुटों के अलावा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के कतिपय भूमिगत गुटों ने म्यांमार में अपने शिविरों से/में आवाजाही तथा शस्त्रों एवं गोलाबारूद के दुर्व्यापार के लिए भी इन जिलों का प्रयोग साधन के रूप में करना जारी रखा है।

5. इसलिए केन्द्रीय सरकार की राय है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत । अक्टूबर, 2013 से आगे छ: (6) महीने की अविध के लिए जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए, अशांत क्षेत्र के रूप में जारी रखना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन ई-II]

डॉ. एम.सी. मेहानाथन, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2013

**S.O. 2938(E).**—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministy's Notification No. 603(E), dated 17-9-1991, as in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous

condition that the use of Armed Forces in aid of civil power was necessary.

- 2. The Longding district (carved out of Tirap district) was also declared as 'disturbed area' *vide* the Ministry's notification dated 30th July, 2012.
- 3. The declaration of Tirap, Changlang and Longding of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2013 and the validity of declaration of these three districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 30th September, 2013.
- 4. The law and order situation in these three districts has been reviewed further. The violent activities of insurgents in these three districts remained unchanged. The factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes.
- The NSCN ultras also interfare in the political activities of the Districts by intimidating political leaders for monetary considerations. Apart from, underground Naga outfits, the United Liberation Front of Assam (ULFA) and certain Manipur based underground outfits continue to use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking of arms and ammunitions.
- 5. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap, Changlaing and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2013 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE.II] Dr. M. C. MEHANATHAN, Jt. Secy.



असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिका ' से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 816]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2014/चैत्र 10, 1936

No. 816]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2014/CHAITRA 10, 1936

गृह संत्रालय

### अभिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

का.आ. 982(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17.9.1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के तहत दिनांक 17.9.1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राय में, उक्त जिले ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक था।

- 2. लांगडिंग जिले (तिरप जिले में से बनाया हुआ) को भी इस मंत्रालय की दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था।
- 3. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की आखिरी बार समीक्षा सितम्बर, 2013 में की गई पी तथा अरुणाचल प्रदेश के इन तीन जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किए जाने की वैधता को 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाया गया था।
- 4. इन तीन जिलों में कानून एवं व्यवस्था की आगे समीक्षा की गई है। इन तीनों जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां अपरिवर्तित रहीं। नेशनल सोशिनस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के गुटों का अन्तर-गुटीय संघर्षों में संलिप्त रहना जारी है। एन एस सी एन अल्ट्रास मौद्रिक प्रतिफलों के लिए राजनैतिक नेताओं को डरा-धमकाकर जिलों के राजनैतिक क्रिनाकलापों में भी हस्तक्षेप करते हैं। भूमिगत नागा गुटों के अलावा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के कतिपय भूमिगत गुटों ने म्यांमार में अपने शिविरों से/में आवाजाही तथा शस्त्रों एवं गोलाबारूद के दुर्व्यापार के लिए भी इन जिलों का प्रयोग साधन के रूप में करना जारी रखा है।

1453 GI/2014

5. इसलिए केन्द्रीय सरकार की राय है कि अञ्जाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत 1 अप्रैल, 2014 से आगे छ: (6) महीने की अवधि के लिए, जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए, 'अशात क्षेत्र' के रूप में जारी रखना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन ई-II]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

- S.O. 982(E).— Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-1-1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E), dated 17.9.1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of Armed Forces in aid of civil power was necessary.
- 2. The Longding district (carved out of Tirap district) was also declared as 'disturbed area' vide this Ministry's notification dated 30th July, 2012.
- 3. The declaration of Tirap, Changlang and Lorgding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2013 and the validity of declaration of these three districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 31st March, 2014.
- 4. The law & order situation in these three districts has been reviewed further. The violent activities of insurgents in these three districts remained unchanged. The factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes. The NSC \(\forall \) ultras also interfere in the political activities of the Districts by intimidating political leaders for monetary considerations. Apart from underground Naga outfits, the United Liberation Front of Assam (ULFA) and certain Manipur based underground outfits continue to use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myammar and also for trafficking of arms and ammunitions.
- 5. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st Ap il, 2014 unless withdrawn earlier.

[F. No.13/27/99-NE. II] SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.



#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2022]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2014/आश्विन 8, 1936

No. 2022]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2014/ASVINA 8, 1936

### गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2014

का.आ. 2563(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17.9.1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को दिनांक 17.9.1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राय में, उक्त जिले ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि नागरिक शक्ति की सहायतार्थ सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक था।

- 2. लांगडिंग जिले (तिरप जिले में से बनाया हुआ) को भी इस मंत्रालय की दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था।
- 3. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की आखिरी बार समीक्षा मार्च, 2014 में की गई थी तथा अरुणाचल प्रदेश के इन तीन जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किए जाने की वैधता को 30 सितम्बर, 2014 तक बढ़ाया गया था।
- 4. इन तीन जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की पुन: समीक्षा की गई है। इन तीनों जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियों में बदलाव नहीं हुआ। नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के गुटों का अन्तरगुटीय संघर्षों में संलिप्त रहना जारी है। एन एस सी एन के गुट मौद्रिक सहायता के लिए राजनैतिक नेताओं को डरा-धमकाकर राजनैतिक क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप करते हैं। भूमिगत नागा गुटों के अलावा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के कितपय भूमिगत गुटों ने म्यांमार में अपने शिविरों से/में आवाजाही तथा शस्त्रों एवं गोलाबारूद के दुर्व्यापार के लिए भी इन जिलों का प्रयोग साधन के रूप में करना जारी रखा है।

5. इसलिए, केन्द्रीय सरकार की राय है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत 1 अक्तूबर, 2014 से आगे छ: (6) महीने की अवधि के लिए, जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में जारी रखना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन ई-II]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2014

- **S.O. 2563(E).**—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 *vide* this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17.9.1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of Armed Forces in aid of civil power was necessary.
- 2. The Longding district (carved out of Tirap district) was also declared as 'disturbed area' *vide* this Ministry's notification dated 30th July, 2012.
- 3. The declaration of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2014 and the validity of declaration of these three districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2014.
- 4. The law & order situation in these three districts has been reviewed further. The violent activities of insurgents in these three districts remained unchanged. The factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes. The factions of NSCN also interfere in the political matters by intimidating leaders for monetary help. Apart from underground Naga outfits, the United Liberation Front of Assam (ULFA) and certain Manipur based underground outfits continue to use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking of arms and ammunitions.
- 5. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2014 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE. II] SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸੰ. 445] No. 445] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2006/वैशाख 14, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2006/VAISAKHA 14, 1928

### गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2006

का.आ. 646(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यत:, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेबालय और नागालैण्ड राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था:

और, यत:, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मेघालय राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यत:, असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की अन्तिम बार समीक्षा 3 नवम्बर, 2005 को की गई थी जिसके आधार पर असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड राज्यों में 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अवधि को 4 मई, 2006 तक बढ़ा दिया गया था;

और, यत:, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेधालय एवं नागालैण्ड राज्यों में 20 किमी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :—

- (i) असम राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यतः यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) की बड़ी संख्या में हिसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही है। अन्य विद्रोही गुट अर्थात् नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोरोलैण्ड (एनडीएफबी), कर्बी लोगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दा ओगाह (डीएचडी) भी असम राज्य में सिक्रय है:
- (ii) यत:, उल्फा तथा एन डी एफ बी प्रभुसत्ता की मांग कर रहे हैं, यूनाइटिड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी (यूपीडीएम) तथा डी एच डी पृथक राज्यों की मांग कर रहे हैं। केएलएनएलएफ की मांग में भी अलगाव के स्वर हैं;
- (iii) उपर्युक्त गुटों में से कुछ का सशस्त्र संघर्ष में विश्वास बना हुआ है और उनमें से अधिकांश आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अव्यवस्थित करने तथा लोगों से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसक कार्यों में लिप्त हैं;

(iv) असम की सीमा से लगे राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैण्ड की 20 किमी. चौड़ी पट्टी में विद्रोही गुटों जैसे उल्फा, एन डी एफ बी नेशलन सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दो गुट, पीपुल्स लिबरेशन ऑफ (पीएलए), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी), अचिक नैशनल वॉलंटीयर काउंसिल (एएनवीसी), हाइनीड्रॅफ नैशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) आदि की हिंसक गतिविधियां जारी हैं।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैण्ड राज्यों की 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अन्तर्गत और छ: महीने के लिए अर्थात् 4-11-2006 तक 'अशान्त्र क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

> [फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.-IV] राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2006

S.O. 646(E).—Whereas, the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 vide Notification S.O. 916(E), dated 27-11-1990;

And, whereas, the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland, along their border with the State of Assam as 'disturbed area';

And, whereas, the period during which the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas;

And, whereas, the last review of law and order situation in the State of Assam and a foresaid areas was conducted on the 3rd November, 2005 on the basis of which the period during which the State of Assam and 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam shall be 'disturbed area' was extended up to 4th May, 2006;

And, whereas, a further review of the law and order situation in Assam and 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam indicates the following:

- (i) the law and order situation in the State of Assam has remained vitiated mainly due to large number of violent activities of the United Liberation Front of Asom (ULFA). Other insurgent outfits namely National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and Dima Halam Daogah (DHD) are also active in the State of Assam;
- (ii) while the ULFA and the NDFB have been demanding sovereignty, the United Peoples Democratic Solidarity (UPDS) and the DHD are demanding separte States. The demand of the KLNLF also has secessionist overtones;
- (iii) some of the above mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and most of them indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturbithe administrative system and to extort money from the people;
- (iv) in the 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam the violent activities of insurgent outfits such as the ULFA, the NDFB, the two factions of the National Socialist Council of Nagaland (NSCN), the People's Liberation Army (PLA), National Liberation Front of Tripura (NLFT), Achik National Volunteer Council (ANVC), Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) etc. continue.

Now, therefore, the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam shall continue to be "disturbed area" under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a further period of six months, i.e., up to 4-11-2006 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV] RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

## Me Gazette of India

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₩. 1350] No. 1350] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2006/कार्तिक 19, 1928 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2006/KARTIKA 19, 1928

गृह मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2006

का.आ. 1941(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां), अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं नागालैंड राज्यों में 20 किमी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं ब्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है: -

- (i) असम राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यतः यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) की बड़ी संख्या में हिंसक गतिविधियों के कारण बिंगड़ी रही है। अन्य विद्रोही गुट अर्थात् नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बीरोलैंड (एनडीएफबी), कर्बी लोगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), कुकी स्वोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दा ओगाह (डी एच डी) भी असम राज्य में सिक्रय हैं:
- (ii) यतः, उल्फा तथा एनडीएफबी प्रभुसत्ता की मांग कर रहे हैं, यूनाइटिङ पीपुल्स डेमोक्नेटिक सोलिडेरिटी (यूपीडीएम) तथा डीएचडी पृथक राज्यों की मांग कर रहे हैं। केएलएनएलएफ की मांग में भी अलगाव के स्वर हैं;

- (iii) उपर्युक्त गुटों में से कुछ का सशस्त्र संघर्ष में विश्वास बना हुआ है और उनमें से अधिकांश आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अव्यवस्थित करने तथा लोगों से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसक कार्यों में लिप्त हैं;
- (iv) असम की सीमा से लगे राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड की 20 किमी. चौड़ी पट्टी में विद्रोही गुटों जैसे उल्फा, एनडीएफबी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) के दो गुट, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी), अचिक नेशनल वॉलंटीयर काउंसिल (एएनवीसी), हन्नीवट्टैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) आदि की हिंसक गतिविधियां जारी हैं।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड राज्यों की 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4.5.2007 तक 'अशान्त क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

> [फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2006

S.O. 1941(E).—Whereas, the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 *vide* Notification S.O. 916(E) dated 27-11-1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas failing within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland, along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 KMs wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam indicates the following;

- The law and order situation in the State of Assam has remained vitiated mainly due to large number of violent activities of the United Liberation front of Asom (ULFA). Other insurgent outfits namely National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and Dima Halam Daogah (DHD) are also active in the State of Assam.
- ii) While the ULFA and the NDFB have been demanding sovereignty, the United Peoples Democratic Solidarity (UPDS) and the DHD are demanding separate States. The demands of the KLNLF also has secessionist overtones.
- Some of the above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and most of them indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and to extort money from people.
- iv) In the 20 Kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Megahalaya and Nagaland bordering Assam the violent activities of insurgent outfits such as the ULFA, the NDFB, the two factions of the National Socialist Council of Nagaland (NSCN), the People's Liberaton Army (PLA), National Liberation Front of Tripura (NLFT), Achik National Volunteer council (ANVC), Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) etc. continue.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4.5.2007 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV] NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

## 

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 526] No. 526] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2007/वैशाख 14, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2007/VAISAKHA 14, 1929

## गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2007

का.आ. 717(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां), अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वीक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 किमी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :-

(i) असम राज्य में, हेलाकण्डी एवं करीमगंज जिलों को छोड़कर, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यतः यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोरोलैण्ड (एनडीएफबी), कर्बी लोंगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), दीमा हलाम दाओगाह (डीएचडी) और डीएचडी के जोयल गारलोसा गुट की हिंसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही है।

- (ii) असम में नवंबर, 2006 और 31 मार्च, 2007 के बीच हुई 238 घटनाओं में भूमिगत गुटों द्वारा 12 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 156 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं।
- (iii) असम की सीमा से लगी अरूणाचल प्रदेश की 20 कि.मी. पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश और असम में सिक्रय विभिन्न भूमिगत गुटों की हिंसक गतिविधियों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आई है। उल्फा भी इस क्षेत्र का प्रयोग अपने छुपने के अड्डे बनाने के लिए कर रहा है। सुरक्षा बलों ने उल्फा के काडरों को मार गिराने और उनकी गिरफ्तारी करने के अलावा इस क्षेत्र में कई परित्यक्त शिविरों का पता लगाया है। इसके अतिरिक्त नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के वो गुट और एनडीएफबी इस क्षेत्र में सिक्रय हैं और जबरन धन वसूली करके निधियों को एकत्र कर रहे हैं।
- (iv) असम की सीमा से लगे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी का भूमिगत गुटों द्वारा पड़ोसी देशों से/को घुसपैठ /बाहर जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स पट्टी से होकर असम को शस्त्र एवं गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि असम की सीमा पर जब कभी विद्रोह विरोधी अभियानों को तीव्र किया जाता है तो विद्रोही गुट गारो पहाड़ियों में चले जाते हैं जहाँ उनके आश्रय स्थल हैं।

.अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4.11.2007 तक 'अशान्त क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2007

S.O. 717(E).— Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas failing within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya, along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 KMs wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

The law and order situation in the State of Assam except Hailakandi and Karimganj districts has remained vitiated mainly due to violent activities of the United Liberation front of Asom (ULFA). National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLF), Dima Halam Daogah (DHD) and Joel Garlosa faction of DHD.

- ii) Between November 2006 and upto 31<sup>st</sup> March 2007, as many as 156 persons including 12 Security Force personnel were killed by the Under Ground outfits in 238 incidents of violence in Assam.
- The areas falling in 20 Km belt inside Arunachal Pradesh bordering Assam has witnessed deterioration in law & order situation due to violent activities of different Under Grounds outfits operating in Arunachal Pradesh and Assam. This area is also used by ULFA for establishing hideouts. Security Forces have unearthed many abandoned camps of ULFA in this area besides killing and arrestill its cadres. In addition, the two factions of National Socialist Council of Nagaland(NSCN) and NDFB are active in this area and have been accumulating funds through extortions.
- The 20 Kms wide belt in the State of Megahalaya bordering Assam continue to be used by Under Ground outfits as an infiltration/exfiltration routes from/to neighbouring countries and for smuggling of arms and ammunition to Assam via Garo Hills belt. It has also been noticed that whenever Counter Insurgency operations are intensified on the Assam border, the insurgents retreat to the Garo Hills where they have shelters.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4.11.2007 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV] NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

## He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1357] No. 1357]

नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 4, 2007/कार्तिक 13, 1929 NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 4, 2007/KARTIKA 13, 1929

## गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2007

का.आ. 1878(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां), अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदेत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27 नवम्बर, 1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27 नवम्बर 1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और यत:, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और यत: वह अविध जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथ पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और यत:, आसम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) असम राज्य में, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यत: यूनाइटेड लिबरेशन फ्रांट ऑफ असम (उल्फा), की अनेक हिंसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही है। आई ई डी का प्रयोग उल्फा की हिंसा की प्रमुख विशेषता रही है। अन्य विद्रोही संगठन, नामतः नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड (एनडीएफबी), कर्बी लोगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दाओगाह (डी एच डी) भी असम राज्य में सिक्रय हैं।

- (ii) वर्ष 2007 के दौरान (30 सितम्बर, 2007 तक) असम में हुई हिंसा की 387 घटनाओं में भूमिगत गुटों द्वारा 16 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 255 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं।
- (iii) उपर्युक्त उल्लिखित गुटों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा इनमें से अधिकांश गुट आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में लिप्त हैं।
- (iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विशेष रूप से तीरप, चांगलोंग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग तथा निचले दिवांग घाटी जिलों में विभिन्न उग्रवादी संगठनों तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। एन एस सी एन के दो गुट असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जबरन धन वसूली में लिप्त हैं।
- (v) असम की सीमा से लगे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी का भूमिगत गुटों द्वारा पड़ोसी देशों से/को घुसपैठ/बाहर जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स पट्टी से होकर असम को शस्त्र एवं गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि असम की सीमा पर जब कभी विद्रोह विरोधी अभियानों को तीव्र किया जाता है तो विद्रोही गुट गारो पहाड़ियों में चले जाते हैं जहाँ उनके आश्रय स्थल हैं।

अत:, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तिया) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4-5-2008 तक 'अशान्त क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4 November, 2007

S.O. 1878(E).—Whereas, the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27th November, 1990 vide Notification S.O. 916 (E) dated 27th November, 1990.

And, whereas, the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And, whereas, the period during which the State of Assam and areas falling within 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And, whereas, a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, and Meghalaya bordering Assam indicates the following:—

(i) The law and order situation in the State of Assam has remained vitiated mainly due to large number of violent activities of the United Liberation Front of Asom (ULFA). The use of IEDs has been the significant feature of ULFA violence. Other insurgent outfits namely National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and Dima Halam Daogah (DHD) are also active in the State of Assam.

- (ii) During 2007 (upto 30th September, 2007) as many as 255 persons including 16 Security Force Personnel were killed by the Under Ground outfits in 387 incidents of violence in Assam.
- (iii) The above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and most of them indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort money from people.
- (iv) The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations and Security Forces, particularly in the districts of Tirap, Changlong, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The two factions of NSCN are involved in extortion activities in Assam-Arunachal Pradesh border areas.
- (v) The 20 Kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam continue to be used by Under Ground outfits as an infiltration/exfiltration routes from/to neighbouring countries and for smuggling of arms and ammunition to Assam via Garo Hills belt. It has also been noticed that whenever Counter Insurgency operations are intensified on the Assam border, the insurgents retreat to the Garo Hills where they have shelters.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4-5-2008 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV] NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

## He Gazette of India

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 606] No. 606] नई दिल्ली, रविवार, मई 4, 2008/वैशाख 14, 1930 NEW DELHI, SUNDAY, MAY4, 2008/VAISAKHA 14, 1930

## गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2008

का.आ. 1082(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यत:, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यत:, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यत:, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:-

(i) असम राज्य में, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यतः यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), की अनेक हिंसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही है। अन्य विद्रोही संगठन, नामत: नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड (एनडीएफबी), कर्बो लोंगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दाओगाह (डी एच डी) भी असम राज्य में सक्रिय हैं।

- (ii) अक्तूबर, 2007 से मार्च, 2008 तक असम में हुई हिंसा की 192 घटनाओं में भूमिगत गुटों द्वारा 20 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 101 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं।
- (iii) उपर्युक्त उल्लिखित गुटों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा इनमें से अधिकांश गुट आम जनता में डर ,पैदा करने, प्रशासनिक, प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में लिप्त हैं।
- (iv) असम से लगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि. मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विशेष रूप से तीरप, चांगलोंग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग तथा निचले दिवांग घाटी जिलों में विभिन्न उग्रवादी संगठनों तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दो गुट असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी जबरन धन-वसूली में लिप्त हैं।
- (v) यद्यपि सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए विद्रोह विरोधी अभियान के कारण मेघालय में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है किन्तु असम की सीमा से लगे मेघालय राज्य की 20 कि. मी.

चौड़ी पट्टी का भूमिगत गुटों द्वारा पड़ौसी देशों से/को घुसपैट/बाहर जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स से होकर असम को शस्त्र एवं गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि असम की सीमा पर जब कभी विद्रोह विरोधी अभियानों को तीव्र किया जाता है तो विद्रोही गुट गारो पहाड़ियों में चले जाते हैं जहां उनके आश्रय स्थल हैं।

अत:, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4-11-2008 तक 'अशान्त क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV]

वी. एन. गौड़, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2008

S.O. 1082(E).— Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 vide Notification S.O. 916 (E) dated 27-11-1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 KMs wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.'

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, and Meghalaya bordering Assam indicates the following:

(i) The law and order situation in the State of Assam has remained vitiated mainly due to large number of violent activities of the United Liberation Front

- of Asom (ULFA). Other insurgent outfits namely National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and Dima Halam Daogah (DHD) are also active in the State of Assam.
- (ii) During October 07 to March 08 as many as 101 persons including 20 Security Force Personnel were killed by the Under Ground outfits in 192 incidents of violence in Assam.
- (iii) The above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and most of them indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort money from people.
- (iv) The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh bordering Assam continue to witness deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations and Security Forces, particularly in the districts of Tirap, Changlong, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to be involved in extortion activities in Assam-Arunachal Pradesh border areas.
- (v) Though the security situation in Meghalaya has shown improvement due to counter insurgency operation by the security forces the 20 Kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam continue to be used by Under Ground outfits as an infiltration/exfiltration routes from/to neighbouring countries and for smuggling of arms and ammunition to Assam via Garo Hills. It has also been noticed that whenever Counter Insurgency operations are intensified on the Assam border, the insurgents retreat to the Garo Hills where they have shelters.
- Now, therefore the entire State of Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4-11-.2008 unless withdrawn earlier.

[F. No.11011/38/98-NE.-IV] V. N. GAUR, Jt. Secy.



### EXTRAORDINARY

भाग ।1—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1545] No. 1545] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2008/कार्तिक 13, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2008/KARTIKA 13, 1930

### गृह मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

का.आ. 2594(अ)—यतः, केन्द्रीय संस्कार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य की दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था:

और, यतः, केन्द्रीयं सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वीक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :-

i) असम में, कानून एव व्यवस्था की स्थिति यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) द्वारा की गई अनेक हिंसक वारदातों के कारण खराब रही है। अन्य विद्रोही संगठन जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड (एन डी एफ बी), यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडैरिटी (यू पी डी एस) कार्बी लोंगरी एन.सी. हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के एल एन एल एफ), जो पूर्व में यू पी डी एस-वार्ता विरोधी गुट के नाम से जाना जाता था, कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दाओगाह के दोनों गुट - (डी एच डी एवं डी एच डी/जे) भी असम राज्य में हिंसा में काफी हद तक संलिप्त रहे हैं।

- ii) अप्रैल, 2008 से 15 अक्तूबर, 2008 के दौरान असम में हुई हिंसा की 168 घटनाओं में भूमिगत संगठनों द्वारा 04 सुरक्षा बल कार्मिकों सिंहत 84 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं।
- iii) इन सभी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।
- iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप, चांगलैण्ड, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचले दिबांग घाटी जिलों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विभिन्न उग्रवादी संगठनों (अरुणाचल प्रदेश तथा असम में सिक्रय) तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। एन एस सी एन के गुट असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जबरन धन वसूली में संलिप्त हैं। एन एस सी एन-आईएम यह दावा करता है कि इन इलाकों के लोग तथा क्षेत्र उसके प्रस्तावित 'वृहद् नागालिम' का हिस्सा है। इसी प्रकार, एन एस सी एन-के, चांगलांग जिला की सीमा से लगे असम के कितपय भागों को अपने प्रभाव का क्षेत्र होने का दावा करता है। इन संगठनों द्वारा जबरन धन वसूली हेतु बनाए गए लक्ष्यों में व्यापारिक समुदाय, स्थानीय लोग, सरकारी पदाधिकारी तथा क्षेत्र में कार्य कर रहे सार्वजिनिक क्षेत्र के उद्यम भी शामिल हैं।
- प्रिक्षा बलों द्वारा की गई सतत् कार्रवाई के कारण मेघालय में मौजूदा सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था परिदृश्य में सुधार देखा गया है। तथापि, असम की सीमा से सटी 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में भूमिगत संगठन सिक्रय बने हुए हैं। इस क्षेत्र का बंगलादेश से घुसपैठ/जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स से होकर असम को उस देश से शस्त्र/गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह जानकारी हुई है कि उल्फा इस क्षेत्र का इस्तेमाल आश्रय/छिपने के ठिकानों और शस्त्र/गोलाबारूद/विस्फोटक खेप भेजने तथा प्राप्त करने के लिए करता रहा है।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4.5.2009 तक 'अशांत क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 2594(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas failing within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

i) The law and order situation in Assam has continued to remain grim due to a large number of violent incidents by United Liberation Front of Asom (ULFA). Other insurgent outfits like National Democratic Front of Boroland (NDFB), United Peoples'

Democratic Solidarity (UPDS) Karbi Longri N.C. Hills Liberation Front (KLNLF), earlier known as UPDS - anti talk faction), Kuki Revolutionary Army (KRA) and the two factions of Dima Halam Daogah - (DHD & DHD/J) were also involved in violence to some extent in the State of Assam.

- During April 2008 to 15<sup>th</sup> October 2008, 84 persons including 04 Security Forces Personnel were killed by the Under Ground outfits in 168 incidents of violence in Assam.
- iii) All these outfits continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and to extort money from the people.
- Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations (operating in Arunachal Pradesh and Assam) and Security Forces particularly in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The NSCN factions are involved in extortion activities in the Assam-Arunachal border areas. The NSCN-IM claims the people and territory of these areas as part of its proposed 'Greater Nagalim'. Similarly, NSCN-K claims certain parts of Assam bordering Changlang district as its sphere of influence. The targets of extortion by the outfits include the business community, local people, government officials and also PSU operating in the area.
- v) The current security and law & order scenario in Megahalaya has shown improvement due to sustained operations by the Security

Forces. However, Under Ground Outfits continue to be active in the 20 km wide belt bordering Assam. The region is used as an infiltration/exfiltration route from/to Bangladesh and for smuggling of arms / ammunition from that country to Assam via Garo Hills. ULFA has been known to be using this area for shelter/hideouts and trans-shipment of arms/ammunition /explosive consignment.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4.5.2009 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV] NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

## MRAGAN VISIUM The Gazette of India

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 700] No. 700] नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2009/वैशास्त्र 14, 1931

NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2009/VAISAKHA 14, 1931

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2009

का.आ. 1146(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वीक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :-

i) असम राज्य में, कानून एव व्यवस्था की स्थिति यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) द्वारा की गई अनेक हिंसक वारदातों के कारण खराब रही है। अन्य उग्रवादी संगठन जैसे नेशनल डेमोक्नेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंण्ड (एन डी एफ बी), वार्ता विरोधी गुट कार्बी लोंगरी एन.सी. हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के एल एन एल एफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आमीं (के आर ए) तथा दीमा हलाम दाओगाह का एक गुट - (डी एच डी/जे) भी असम राज्य में हिंसा में काफी हद तक संलिप्त रहे हैं।

- ii) सम्पूर्ण असम आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित है। अक्तूबर, 2008 से मार्च, 2009 के बीच असम में हुई हिंसा की 156 घटनाओं में भूमिगत संगठनों द्वारा 11 सुरक्षा बल कार्मिकों सिहत 160 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं।
- iii) उपर्युक्त संगठनों का विश्वास सशस्त्र संभर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।
- iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप, चांगलैण्ड, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचली दिबांग घाटी के जिलों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विभिन्न उग्रवादी संगठनों (अरुणाचल प्रदेश तथा असम में सिक्रय) तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के गुट असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारी समुदाय, स्थानीय लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों से जबरन धन वसूली में संलिप्त हैं। लोहित, निचली दिबांग घाटी, पूर्वी और पश्चिमी सियांग जिले तथा पेपम्पेयर की निचली पहाड़ियाँ उल्फा उग्रवादियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल हैं क्योंकि इन जिलों में उन्होंने अपने छिपने के ठिकाने बनाए हुए हैं।
- प्रभावतया आचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (ए एन वी सी) के साथ 'अभियानों के निलंबन' (एस ओ ओ) तथा हिन्नीविटर्प नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एच एन एल सी) भूमिगत संगठनों के निष्प्रभावन में सुरक्षा बलों को मिली सफलता के कारण मेघालय में मौजूदा सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था परिदृश्य में सुधार देखा गया है। इस क्षेत्र का बंगलादेश से घुसपैठ/जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स से होकर असम को उस देश से शस्त्र/गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उल्फा इस क्षेत्र का इस्तेमाल आश्रय/छिपने के ठिकानों और शस्त्र/गोलाबारूद/विस्फोटक खेप भेजने तथा प्राप्त करने के लिए करता रहा है।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4.11.2009 तक 'अशांत क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.-IV] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2009

\$.0. 1146(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 KMs wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

- to remain grim due to a large number of violent incidents by United Liberation Front of Asom (ULFA). Other militant outfits like National Democratic Front of Boroland (NDFB) anti-talk faction, United Peoples' Democratic Solidarity (UPDS) Karbi Longri N.C. Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and a faction of Dima Halam Daogah (DHD/J) were also involved in violence to some extent in the State of Assam.
- The whole of Assam is affected by terrorist activities. Between October 2008 to March 2009, as many as 160 persons, including 11 Security Force Personnel were killed by the Under Ground outfits in 156 incidents of violence in Assam.

- iii) The above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extortion from the people.
- have witnessed deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations (operating in Arunachal Pradesh and Assam) and Security Forces particularly in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and west Siang and Lower Dibang Valley districts. The National Socialist Council of Nagaland (NSCN) factions are involved in extortion from business community, local people and Government officials in the Assam-Arunachal border areas. The districts of Lohit, Lower Dibang Valley, East and West Siang and the foothills of papumpare act as a safe haven for ULFA militants as they have established hideouts in these districts.
  - shown an improvement mainly owing to Suspension of Operation (SoO) against cadres of Achik National Volunteer Council (ANVC) and the success of the Security Forces in neutralizing the cadres of Hynniewyterp National Liberation Council (HNLC). The region is used as an infiltration/ exfiltration route from/to Bangladesh and for smuggling of arms/ammunition from that country to Assam via Garo Hills. ULFA has been known to be using this area for shelter/ hideouts and trans-shipmen to farms/ ammunition/ explosive consignments.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4.11.2009 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy

## HRA En USIUA The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1816] No. 1816] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2009/कार्तिक 13, 1931

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2009/KARTIKA 13, 1931

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2009

का.आ. 2824(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'विश्वुब्ध क्षेत्र' के, रूप में घोषित किया था।

और यत:, केन्द्रीय परकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तायों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'विक्षुच्ध क्षेत्र' के रूप में बोधित किया था।

और यत:, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्दी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'विश्वुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था।

और यत:, असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:—

(i) असम राज्य में, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भूमिगत संगठनों द्वारा की गई हिंसक वारदातों के कारण खराब रही है ।

- (ii) अप्रैल, 2009 से सितम्बर, 2009 की अवधि के दौरान ये भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 225 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 18 सुरक्षा कार्मिकों सहित 88 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।
- (iii) उपर्युक्त संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।
- (iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप, चांगलांग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचली दिखांग घाटी के जिलों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विभिन्न उग्रवादी संगठनों (अरुणाचल प्रदेश तथा असम में सिक्रय) तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठमेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। नेशनल सोशलिस्ट काउँसिल ऑफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के गुट असम-अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जबरन धन वसूली की गतिविधियों में भी संलिप्त हैं। इन संगठनों द्वारा जिनको जबरन धन वसूली का लक्ष्य बनाया जाता है उनमें व्यावसायिक वर्ग, स्थानीय लोग, सरकारी कर्मचारी तथा इस क्षेत्र में कार्बरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं । उल्फा काडर म्यांमार में अपने शिविरों में पहुंचने के लिए भी चांगलांग और लोहित जिलों का प्रयोग करते आ रहे हैं। उल्फा काडरों के अरुणाचल प्रदेश के लोहित, निचली दिवांग घाटी, पूर्वी और पश्चिमी सियांग जिलों में छिपने के अड्डे हैं।
- (v) मुख्यतया अचिक नेशनल वार्लोटियर कार्जेसल (ए एन वी सी) के साथ अभियानों के निलंबन (एस ओ ओ) तथा हिन्नीविटर्प

नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एच एन एल सी) भूमिगत संगठनों के निष्प्रभावन में सुरक्षा बलों को मिली सफलता के कारण मेघालय में मौजूदा सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था परिदृश्य में सुधार देखा गया है। इस क्षेत्र का बंगलादेश से घुसपैठ/जाने के मार्ग के रूप में और गारों हिल्स से होकर असम को उस देश से शस्त्र/गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उल्फा इस क्षेत्र का इस्तेमाल आश्रय/छिपने के ठिकानों और शस्त्र/गोलाबारूद/विस्फोटक खेप भेजने तथा प्राप्त करने के लिए करता रहा है।

अत:, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरूणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत एक वर्ष तक 'विक्षुब्ध क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

> [फा. सं. 11011/38/98-एन ई-IV] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2009

S.O. 2824(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 vide Notification SO 916(E) dated 27-11-1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:—

- (i) The law and order situation in the State of Assam has continued to remain grim due to violent incidents by Under Ground Outfits.
- (ii) During April 2009 to September 2009, the Under Ground Outfits were involved in 225 incidents of violence in Assam which resulted in killings of 88 persons including 18 security personnel.
- (iii) The above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort from the people.
- The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations (operating in Arunachal Pradesh and Assam) and Security Forces particularly in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The National Socialist Council of Nagaland (NSCN) factions are also involved in extortion activities in the Assam-Arunachal border areas. The targets of extortion by the outfits include the business community, local people, government officials and also PSUs operating in the area. ULFA cadres have also been using Changlang and Lohit districts to reach their camps in Myanmar. ULFA cadres have hideouts in the districts of Lohit, Lower Dibang Valley, East and West Siang of Arunachal Pradesh.
- (v) The current security and law & order scenario in Meghalaya has shown some improvement mainly owing to Suspension of Operation (SoO) against cadres of Achik National Volunteer Council (ANVC) and the success of the Security Forces in neutralizing the cadres of Hynniewyterp National Liberation Council (HNLC). The region is used as an infiltration/exfiltration route from/to Bangladesh and for smuggling of arms/ammunition from that country to Assam via Garo Hills. ULFA has been known to be using this area for shelter/hideouts and transshipment to arms/ammunition/explosive consignments.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV] NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

# He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY** 

सं. 2287]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2010/कार्तिक 12, 1932

No. 2287]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2010/KARTIKA 12, 1932

## गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2010

का.आ. 2707(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 को अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'विशुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत:, क्रेन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पटटी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत:, इस घोषणा को, कि असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पटटी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'विक्षुब्ध क्षेत्र' रहेंगे, असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, समय-समय पर बढ़ाया गया था।

और यत:, असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पटटी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत संगठनों द्वारा की आने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।

- (ii) जनवरी से सितम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 196 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 12 सुरक्षा कर्मियों सहित 41 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।
- (iii) इस क्षेत्र में सिक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासिनक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।
- (iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौडी पटटी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप चांगलांग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचली दिवांग घाटी के जिलों में उग्रवादी गतिविधियों के कारण कानन और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है । अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों की भरमार रही है। उग्रवादियों द्वारा सीमावर्ती गांवों में जबरन धन वसूली की गतिविधियां चलाया जाना जारी है । ब्लॉक-1 क्षेत्र (असम मेघालय सीमा पर विवादित क्षेत्र/जैतिया हिल्स जिला) में सिक्रय यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सौलिडेरिटी (यू पी डी एस) के उग्रवादी नार और नेपाली आधिपत्य वाले गांवों अर्थात् नॉनग्रोंग मिन्जू, अम्बास्, सार, मोल्लाबेर, मूरप आदि (सभी नार गांव) से तथा कोलालफंग और मोजोंग (नेपाली गांव) से कथित रूप से आवास कर की मांग भी करते रहे हैं। छोटे किसानों से भी उनके कृषि उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राशि की जबरन वसूली की जा रही है।

अतः अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पटटी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शिक्तयां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत एक वर्ष तक 'विश्व अ क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इस धारा को इससे पहले हटा न लिया जाए।

[फा. सं 11011/38/98-एन.ई.-IV]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY: OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2010

S.O. 2707(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 vide Notification S.O. 916(E), dated 27-11-1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:—

(i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits.

- (ii) During the period January to September 2010, the Under Ground Outfits were involved in 196 incidents of violence in Assam which resulted in killings of 41 persons including 12 security personnel.
- (iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort from the people.
- (iv) The areas falling in the 20 kms, wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deteriora tion in law and order due to militant activities in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, Bast and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The bordering areas of Assam with Arunachal Pradesh and Meghalaya lave remained infested with by militant activities. Militants continue to carry out exprtion activities in the bordering villages United Peoples Democratic Solidarity (UPDS) militants (a Karbi Anglong/Assan based militant outfit), operating in Blok-1 area (disputed area in Assam-Meghalayia border/ Jaintia Hills district) have also been eportedly demanding house-tax from Pnar and Nepali dominated villages viz. Nongrog, Mynju, Umbasoo, Psiar, Mollaber, Murap et. (all Pnar villages) and Kolalaphang and Mojong (Nepali villages), Petty farmers areaso being extorted of the sale proceeds of agicultural products.

Now, therefore, the entire State of Assam and 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'distured area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/9-NE-IV] SHAMBHU SINGI, Jt. Secy.

EXTRAORDINARY

थाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 2092] No. 20921

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2011/कार्तिक 13, 1933

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2011/KARTIKA 13, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बरं, 2011

का.आ. 2506(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और: यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी.चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यतः इस घोषणा को, कि असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरूणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी.चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'विक्षुब्ध क्षेत्र' रहेंगे, असम राज्य तथा पूर्वीक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवथा की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, समय-समय पर बढ़ाया गया

और यतः असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

- भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।
- जनवरी से सितम्बर, 2011 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 111 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 14 सुरक्षा कार्मिकों सहित 29 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।
- इस क्षेत्र में सिक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।
- iv) अरूणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप, चांगलांग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचली दिबांग घाटी जिलों में उग्रवादी गतिविधियों के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। अरूणाचल प्रदेश और मेघालय से लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों की भरमार रही है। उग्रवादियों द्वारा सीमावर्ती गांवों में जबरन धन वसूली संबंधी गतिविधियां चलाया जाना जारी है। वर्ष 2011 के दौरान, अरूणाचल प्रदेश के संदिग्ध भूमिगत संगठन नेशनल लिब्रेशन काउंसिल ऑफ तानिलैण्ड (एन एल सी टी) को रामघाट (अरूणाचल प्रदेश), नागाबिल, गोसाला, उत्तर दारीबिल (सभी पुलिस थाना हेलेम, जिला सोनितपुर के अंतर्गत) में एन डी एच बी की सहायता से जबरन धन वसूली संबंधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। निचले असम में सिक्रिय उल्फा (ए टी) के काडर मेघालय के गारो हिल्स जिलों में शरण ले रहे हैं। गारो नेशनल लिब्नेशन आर्मी (जी एन एल ए) द्वारा मेघालय के गारो हिल्स जिलों की सीमा के निकट, बंगलादेश में सुरक्षित आश्रय/आधार स्थापित करने में उल्फा की मदद किए जाने की भी सूचना मिली है। मेघालय में, एन डी एफ बी (ए टी) ने जी एन एल ए के साथ भी सम्पर्क बनाए हैं तथा दोनों गुटों के काडर संयुक्त रूप से सिक्रय बताए जाते हैं।

अतः अब सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शाक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत एक वर्ष तक 'विक्षुब्ध क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इस धारा को इससे पहले हटा न लिया जाए।

> [फा. सं. 11011/38/98-एन ई-IV] के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2011

S.O. 2506(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

- i) The law and order situation in the State of Assam has continued to matter of concern due to the violent incidents by underground outfits. be
- During the period January to September 2011, the Under Ground Outfits were ii) involved in 111 incidents of violence in Assam which resulted in killings of 29 persons including 14 security personnel.
- iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort from the people.
- The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh have iv) witnessed deterioration in law and order due to militant activities in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and west Siang and Lower Dibang Valley districts. The

bordering areas of Assam with Arunachal Pradesh and Meghalaya have remained infested with by militant activities. Militants continue to carry out extortion activities in the bordering villages. During the year 2011, suspected National Liberation Council of Taniland(NLCT) UGs of Arunachal Pradesh was found involved in extortion activities in Ramghat (Arunachal Pradesh), Nagabil, Gosala, Uttar Daribil (all under PS Helem, District Sonitpur) with the help of NDHB. ULFA(AT) cadres operating in Lower Assam are taking shelter in Garo Hills Districts of Meghalaya. The Garo National Liberation Army (GNLA) is also reported to be facilitating the ULFA(AT) in establishing safe shelter/base in Bangladesh, bordering the Garo Hills Districts of Meghalaya. In Meghaqlaya, the NDFB (AT) has also established links with the GNLA and cadres of both the outfitys are known to operate jointly

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV] K. K. PATHAK, Jt. Secy.

## HRAGETT VISIUS The Gazette of India

असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2222] No. 2222] नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 4, 2012/कार्तिक 13, 1934

NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 4, 2012/KARTIKA 13, 1934

गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2012

का.आ. 2674(अ).—्यतः केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यतः इस घोषणा को, कि असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौडी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'विक्षुब्ध क्षेत्र' रहेंगे, असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, समय-समय पर बढ़ाया गया था।

और यत: असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

- (i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।
- (ii) जनवरी से सितम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 120 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 3 सुरक्षा कार्मिकों सहित 19 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।
- (iii) इस क्षेत्र में सिक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।
- (iv) अरुणाचल प्रदेश के भीतर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, अर्थात अरुणाचल प्रदेश के लोहित, चांगलांग तथा तीरप जिलों, जिन्हें यह गुट म्यांमार में स्थित बेस कैम्पों में जाने तथा वहां से आने के लिए घुसपैठ करने और असम में विद्रोह-रोधी कार्रवाई से बचकर भाग निकलने के लिए अस्थाई ट्रांजिट कैम्पों तथा शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल करता है, में यूनाइटिड लिब्नेशन फ्रन्ट ऑफ असोम (उल्फा) की मौजूदगी देखी गई है।
- (v) हाल ही में, यूनाइटिड लिब्नेशन फ्रन्ट ऑफ असोम (वार्ता-विरोध) [उल्फा (ए टी)] गुट तथा यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (यू पी डी एफ)- अरुणाचल आधारित एक नवजात गुट के बीच अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ असम में संयुक्त रूप से अभियान चलाने हेतु एक ऑपरेशनल गठजोड़ उभरा है।
- (vi) गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जी एन एल ए) तथा कारबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स (के पी एल टी) जैसे भूमिगत गुटों द्वारा मेघालय के साथ लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी एन एल ए, विशेषकर पश्चिम खासी हिल्स जिले में, उल्फा (ए टी) को बंगलादेश, मेघालय के सीमावर्ती गारो हिल्स जिलों में सुरक्षित पनाह देने/बेस की स्थापना करने में मदद कर रहा है।

अतः अब सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शिक्तयां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 (1958 का 28) के अंतर्गत एक वर्ष तक 'विक्षुब्ध क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इस धारा को इससे पहले हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन. ई. IV] डॉ. एम. सी. मेहानाथन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2012

S.O. 2674(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

- i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits.
- During the period January to September 2012, the Under Ground Outfits were involved in 120 incidents of violence in Assam which resulted in killing of 19 persons including 3 security personnel.

- The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturbed the administrative system and extort from the people.
- iv) The areas falling in the 20 kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed the presence of United Liberation Front of Asom ( ULFA ) in Lohit, Changlang and Tirap Districts of Arunachal Pradesh which the outfit uses for infiltration from/exfiltration in-to its base camps in Myanmar and for temporary transit camps and shelter while on move to escape Counter Insurgency operation in Assam.
- v) Recently, an operational alliance has emerged between United Liberation Front of Asom (Anti-Talk) [ULFA (AT)] faction and United People's Democratic Front (UPDF) an Arunachal based nascent outfit to operate jointly in Arunachal Pradesh as well as in Assam.
- vi) The bordering areas of Assam with Meghalaya are being used by Under Ground outfits like Garo National Liberation Army (GNLA) and Karbi People's Liberation Tigers (KPLT). The GNLA, particularly in West Khasi Hills District, is facilitating the ULFA (AT) in establishing safe shelter/base in Bangladesh, bordering the Garo Hills Districts of Meghalaya.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958(28 of 1958) upto one year beyond 3.11.2012, unless withdrawn earlier.

> [F. No. 11011/38/98-NE. IV] Dr. M. C. MEHANATHAN, Jt. Secy.



### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2549]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2013/कार्तिक 13, 1935

No. 2549]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2013/KARTIKA 13, 1935

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2013

का.आ. 3321(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

- (i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;
- (ii) जनवरी से अगस्त, 2013 तक की अविध के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 127 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 2 सुरक्षा कार्मिकों सिहत 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;
- (iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वस्ली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं;
- (iv) असम तथा अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों की मौजूदगी देखी गई है और इसलिए असम के गोलाघाट, धेमाजी, लखीमपुर तथा तिनसुकिया जिलों और अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिले के नामसाई क्षेत्र में उनकी गतिविधियों की सूचना दी गई थी;
- (v) अरुणाचल प्रदेश में, उल्फा (स्वतंत्र) के काडर म्यांमार, जहां इस गुट के आधार शिविर स्थित हैं, से घुसपैठ करके आने और वापिस जाने के लिए लोहित, चांगलांग तथा तीरप जिलों का प्रयोग करते हैं। यह गुट असम में विद्रोह-रोधी कार्रवाई से बचकर भाग निकलने के लिए भी अस्थाई ट्रांजिट कैम्पों के लिए व्यापक रूप से इन क्षेत्रों का इस्तेमाल करता है;
- (vi) गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जी एन एल ए) तथा अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल जो ए एन वी सी (बी) से अलग हुआ एक गुट है, जैसे भूमिगत गुटों द्वारा मेघालय के साथ लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी एन एल ए द्वारा विशेषकर वेस्ट खासी हिल्स जिले में, उल्फा (आई) को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित पनाह, ठिकाना बनाने में मदद किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

अतः, अब सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 (1958 का 28) के अंतर्गत 3.11.2013 के बाद एक वर्ष तक 'अशांत क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.\] शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th November, 2013

**S.O. 3321(E).**—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 *vide* Notification S.O. 916(E), dated 27-11-1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas a further review of the Law and order situation in Assam and 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:—

- (i) The Law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits;
- (ii) During the period January to August 2013, the Under Ground Outfits were involved in 127 incidents of violence in Assam which resulted in killing of 11 persons including 2 security personnel;
- (iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort from the people;
- (iv) Maoist presence in Assam and border areas of Arunachal Pradesh have been noticed and hence their activities were noticed in Golaghat, Dhemaji, Lakhimpur and Tinsukia districts of Assam and Namsai area of Lohit district in Arunachal Pradesh;
- (v) In Arunachal Pradesh, the ULFA (Independent) cadres use Lohit, Changlang and Tirap districts for infiltration and exfiltration to Mayanmar where the base camps of the outfit are located. The outfit uses these areas extensively for temporary transit camps while on move as also to escape counter insurgency operations in Assam.
- (vi) The bordering areas of Assam with Meghalaya are being used by UG outfits like Garo National Liberation Army (GNLA) and Achik National Volunteer Council a breakaway faction of ANVC(B). The GNLA, particularly in West Khasi Hills District, is reported to be facilitating the ULFA (I) in establishing safe shelter, base in the bordering areas.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms. belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) up to one year beyond 3.11.2013, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-V] SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.



#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2248]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2014/कार्तिक 13, 1936

No. 2248]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2014/KARTIKA 13, 1936

## गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2014

का.आ. 2818 (अ).-यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: यह घोषणा कि असम राज्य और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाएगा, असम राज्य एवं उपर्युक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर आगे बढ़ाई गई।

और यत: असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

- (i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;
- (ii) जनवरी से सितम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 174 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 4 सुरक्षा कार्मिकों सहित 89 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 147 घटनाओं में 3 सुरक्षा कार्मिकों सहित 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी;
- (iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं;
- (iv) एन डी एफ बी (सोंगबिजीत) सर्वाधिक शक्तिशाली एवं घातक विद्रोही समूह के रूप में उभरा है और चालू वर्ष के दौरान, 30 सितम्बर तक 53% घटनाओं, 85% हत्या एवं 51% अपहरण के मामलों में इसका हाथ है;
- (v) म्यांमार में उल्फा (स्वतंत्र) का शीर्ष नेतृत्व अपनी उपस्थिति का दावा प्रस्तुत करने और जबरन धन वसूली को सुगम बनाने के लिए भय फैलाने की दृष्टि से असम के विभिन्न भागों में प्रदर्शनात्मक हिंसक कृत्यों को अंजाम देने के लिए असम में काडरों का घुसपैठ करवाने का प्रयास कर रहा है;

(vi) असम-मेघालय सीमा, असम-अरुणाचल सीमा एवं असम-नागालैंड सीमा पर गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जी एन एल ए) एवं कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स (के पी एल टी), यूनाइटेड अचिक लिबरेशन आर्मी (यू ए एल ए), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (स्वतंत्र), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (सोंगबिजीत), एन एस सी एन (आई/एम) तथा एन एस सी एन (के) जैसे भूमिगत संगठन द्वारा असम के सीमावर्ती क्षेत्रों का उपयोग किया जा रहा है।

अत:, अब सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 (1958 का 28) के अंतर्गत 3.11.2014 के बाद एक वर्ष तक 'अशांत क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.IV] दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2014

S. O. 2818(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification S.O. 916(E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared, besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be a 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and the aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and the 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

- i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits.
- ii) During the period January to September 2014, the Under Ground Outfits were involved in 174 incidents of violence in Assam which resulted in the killing of 89 persons, including 4 security personnel, compared to the killing of 13 persons including 3 security personnel 147 incidents during the corresponding period of the last year.
- iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort money from the people.
- iv) The NDFB(Songbijit) has emerged as the most potent and lethal insurgent group sharing 53% of incidents, 85% of killing and 51% of abduction during the current year upto 30<sup>th</sup> September.
- v) The top leadership of ULFA(I) stationed in Myanmar is making efforts to infiltrate cadres in to Assam to carry out demonstrative acts of violence in different parts of Assam with a view to assert its presence and spread fear psychosis to facilitate extortion.
- vi) The bordering areas of the Assam are being used by UG outfits like Garo National Liberation Army (GNLA) and Karbi People's Liberation Tigers (KPLT), United Achik Liberation Army (UALA), United Liberation Front of Asom (Independent), National Democratic Front of Bodoland(Songbijit) NSCN(I/M) and NSCN(K) at Assam-Meghalaya border, Assam-Arunachal border and Assam-Nagaland border.

Now, therefore, the entire State of Assam and the 20 kms belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year beyond 3.11.2014, unless withdrawn earlier.

[F.No. 11011/38/98-NE-IV] DILIP KUMAR, Jt. Secy.



#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2015/चैत्र 6, 1937

No. 648]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2015/CHAITRA 6, 1937

# गृह मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2015

का.आ. 869(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 04.11.2014 की अधिसूचना का.आ. 2818 (अ) के तहत दिनांक 04.11.2014 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य की सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2014 की अधिसूचना सं. 2563(अ) के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था।

और यत: असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

- (i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश राज्य के सभी जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;
- (ii) असम-अरुणाचल सीमा पर एन डी एफ बी (एस), एन एस सी एन (आई/एम), एन एस सी एन (के), यू एल एफ ए (आई), के एल ओ, एम पी एल एफ मौजूद हैं और के वाई के एल, यू एन एल एफ,

पी एल ए एवं के सी पी व्यक्तियों, सामग्री की आवाजाही, घुसपैठ करने एवं फिर वापस जाने में एन डी एफ बी (एस), यू एल एफ ए (आई) एवं के एल ओ को सहायता प्रदान कर रहे हैं;

- (iii) एन डी एफ बी (एस) ने अब टागा, म्यांमार में अपना सामान्य मुख्यालय एवं प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर लिया है और सूचना के मुताबिक वह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले से होकर म्यांमार से हथियार लाने के लिए नए मार्ग का पता लगाने पर विचार कर रहा है:
- (iv) अरुणाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र आतंकवादियों को सुविधाजनक स्थिति प्रदान करता है और भूमिगत गुटों द्वारा इसका उपयोग सुरक्षित आश्रय के रूप में किया जाता है:
- (v) वामपंथी उग्रवाद इस राज्य में चुपचाप घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि वह अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी एवं लोहित जिले की सीमा से सटे धेमाजी एवं तिनसुकिया क्षेत्रों में अत्यधिक सक्रिय पाया गया है।

अब, इसलिए, केवल अरुणाचल प्रदेश के संबंध में, दिनांक 4.11.2014 एंव दिनांक 30.9.2014 की अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, असम राज्य की सीमा से सटे तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिले सिहत अरुणाचल प्रदेश राज्य में सभी जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2015

**S.O. 869.**—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 04.11.2014 vide Notification S.O. 2818(E) dated 4.11.2014.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared, besides other areas, the areas falling with 20 km wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

Whereas Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, vide Notification No. 2563(E), dated 30.9.2014.

And whereas a further review of the Law and order situation in entire districts in Arunachal Pradesh bordering Assam indicates the following:

- i) The Law and order situation in all the districts in the State of Arunachal Pradesh bordering Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incident by underground outfits;
- ii) There is presence of NDFB(S), NSCN(I/M), NSCN(K), ULFA(I), KLO, MPLF, along with the Assam-Arunachal border and KYKL, UNLF, PLA and KCP are helping NDFB(S), ULFA(I) and KLO for movement of men, material, infiltration and exfiltration;
- iii) The NDFB(S) have now set up their General Head quarter and training camp in Taga, Myanmar and are reportedly contemplating to find out a new route for arms transshipment from Myanmar via Changlang district of Arunachal Pradesh;
- iv) The geographical terrain of Arunachal Pradesh puts the militants in advantageous position and is used by the underground outfits as their safe heaven;

v) The left wing extremism though silently trying to infiltrate into the State as it is found to be mostly active in areas of Dhemaji and Tinsukia districts bordering with Lower Dibang Valley and Lohit district of Arunachal Pradesh.

Now, therefore, in supersession of notifications dated 4.11.2014 and 30.9.2014, to the extent only in relation to the Arunachal Pradesh, all the districts in the State of Arunachal Pradesh, including Tirap, Changlang and Longding districts in the State, bordering the State of Assam are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year from the date of publication of this Notification, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V] SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.



#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 920]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2015/वैशाख 15, 1937

No. 920]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2015/VAISAKHA 15, 1937

#### गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2015

का.आ.1177(अ).-यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के भीतर पड़ने वाले क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 04.11.2014 की अधिसूचना का.आ. 2818 (अ) के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2014 की अधिसूचना सं. 2563 (अ) के तहत अशांत क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था।

यत: दिनांक 27.03.2015 की अधिसूचना का.आ. 869 के तहत असम राज्य की सीमा से लगे तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों सहित अरुणाचल प्रदेश राज्य के सभी जिलों को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया।

और यत: अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे असम के सभी जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से यह पता चलता है कि असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के पुलिस थानों के भीतर आने वाले क्षेत्र गंभीर चिंता का कारण बने हुए हैं।

अत: अब, दिनांक 27.3.2015 की अधिसूचना का का.आ. 869 के अधिक्रमण में असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्निलिखित पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छ: महीने तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

- (i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;
- (ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;
- (iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;
- (iv) निचली दिवांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

- (v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
- (vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भलूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाना;
- (vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने, और
- (viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;
- (ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश के सम्पूर्ण तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से छ: माह तक अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। दिनांक 27 मार्च, 2015 से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अविध दिनांक 27.03.2015 के का.आ. 869 के अंतर्गत शामिल रहेगी।

[फा.सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2015

S.O.1177 (E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam, including the areas falling within 20 km wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam, as 'disturbed area' vide Notification S.O. 2818 (E) dated 4.11.2014.

Whereas Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, vide Notification No. 2563(E), dated 30.9.2014.

Whereas, vide notification S.O. 869 dated 27.3.2015, all the districts in the State of Arunachal Pradesh, including Tirap, Changlang and Longding districts in the State, bordering the State of Assam were declared as disturbed area.

And whereas a further review of the Law and order situation in entire districts in Assam bordering Arunachal Pradesh reveals that areas lying within the Police Stations in Arunachal Pradesh bordering Assam remain a cause of serious concern.

Now, therefore, in supersession of the notification S.O. 869 dated 27.3.2015, the area falling within the jurisdiction of following police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto six months from the date of publication of this Notification, unless withdrawn earlier:-

i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;

ii) Likabali police station in West Siang district:

iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;

iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

v) Seijosa police station in East Kameng district;

vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;

yvii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district; and

>viii) Sunpura police station in Lohit district.

ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district. وو

Further, the whole of Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh are declared as 'disturbed area' under Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto six months from the date of publication of this Notification. The period between 27<sup>th</sup> March 2015 to till date of publication of this notification shall remain covered under S.O.869 dated 27.03.2015.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V] SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.



#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2405]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2015/कार्तिक 14, 1937

No. 2405]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2015/KARTIKA 14, 1937

# गृह मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2015

का.आ. 3011(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को दिनांक 5.5.2015 की अधिसूचना का.आ. 1177 (अ) के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया है:

- (i) एन एस सी एन (के) द्वारा दिनांक 27.03.2015 को एक तरफा युद्ध विराम किए जाने के बाद तिरप, लांगडिंग एवं चांगलांग जिले अशांत रहे;
- (ii) एन एस सी एन (के) लांगडिंग जिले के हिस्सों में अपनी पैठ जमाने में सफल रहा है और नवगठित एन एस सी एन (आर) अब तक एन एस सी एन (आई/एम) एवं एन एस सी एन (के) के प्रभुत्व में रहे क्षत्रों में रणनीतिक स्थानों पर अपने काडरों को तैनात करके अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है;
- (iii) नागा भूमिगत गुट इन क्षेत्रों में विशेषकर सुरक्षा बलों को लक्षित करके व्यापक स्तर पर जबरन धनवसूली, अपहरण एवं हिंसा में लिप्त हैं;
- (iv) नागा भूमिगत गुटों के अलावा, असम स्थित गुट विशेषकर उल्फा (आई) और एन डी एफ बी (एस) असम-अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचालित कर रहे हैं और इन क्षेत्रों का उपयोग सुरक्षा बलों के विद्रोह-रोधी प्रचालनों से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों के रूप में कर रहे हैं;
- (v) हाल में, यू एल एफ ए (आई), एन एस सी एन (के), के एल ओ एवं एन डी एफ एस (एस) को मिलाकर 'यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया' गठित किया गया है तथा इसके घटक

असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का उपयोग म्यांमार में/से घुसपैठ करने के लिए पारेषण मार्ग के रूप में करते हैं।

(vi) अंतर राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों, जो विरल रूप से बसे हैं और जहां किठन एवं घने वन एवं पर्वतीय भू-भाग का विशाल क्षेत्र है, में उल्फा (आई), एन डी एफ बी (एस), यू पी एल एफ, जी एन एल ए, के पी एल टी, यू ए एल ए, एन एस सी एन (आई/एम), एन एस सी एन (के), एन एल सी टी एवं और ए ए एन एल ए सहित विभिन्न विद्रोही समूहों रहते हैं।

अत: अब, अरुणाचल प्रदेश के सम्पूर्ण तिरप, चांगलांग एवं लागडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को दिनांक 4.11.2015 के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:—

- (i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;
- (ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;
- (iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;
- (iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
- (vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भालूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;
- (vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर थाने;
- (viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;
- (ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

एम.ए. गणपति, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFARIS NOTIFICTION

New Delhi, the 5th November, 2015

S.O. 3011(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, as 'disturbed area' vide Notification S.O. 1177(E) dated 5.5.2015.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, indicate the following:—

- (i) After unilateral abrogation of ceasefire on 27.3.2015 by NSCN(K) the security scenario in Tirap, Longding and Changlong districts remains vitiated;
- (ii) NSCN(KK) has managed to gain a foothold in parts of Longding district and the newly formed NSCN(R) is aiming to make inroads by positioning its cadres at strategic locations in areas which were hitherto dominated by NSCN(I/M) and NSCN(K);

- (iii) Naga UG factions continue to indulge in rampant extortion, abductions and violence and particularly targeting Security Forces in these areas;
- (iv) Besides the Naga UG factions, Assam based outfits, particularly ULFA(I) and NDFB(S), have been operating in areas along Assam-Arunachal boundary and using it as safe havens for escaping counter insurgency operations by the Security Forces;
- (v) Recently, 'United National Liberation Front of Western South East Asia' (UNLFW), comprising ULFA(I), NSCN(K), KLO and NDFS(S), has been formed and its constituents use the areas along Assam-Arunachal boundary as a transit route for infiltrating to/from Myanmar.

Now, therefore, the whole of Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations/outpost in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto six months beyond 4.11.2015, unless withdrawn earlier:-

- (i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare dictrict;
- (ii) Likabali police station in West Siang district;
- (iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;
- (iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- (v) Seijosa police station in East Kameng district;
- (vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;
- (vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- (viii) Sunpura police station in Lohit district; and
- (ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.



#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1087]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2016/वैशाख 15, 1938

No. 10871

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2016/ VAISAKHA 15, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

का.आ. 1646(अ).-यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 5.11.2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 3011 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग तथा लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग तथा लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा से यह पता चलता है कि :-

- i) अभी तक जारी नागा विद्रोह की वजह से तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों में सुरक्षा परिदृश्य खराब बना हुआ है;
- ii) एन एस सी एन/के, एन एस सी एन/आई एम, एन एस सी एन/आर तथा एन एस सी एन/एन के नामक नागा भूमिगत गुट जबरन धन वसूली, क्षेत्र आधिपत्य, अन्तर गुटीय शत्रुता जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं;
- iii) दिनांक 27.03.2015 को भारत सरकार के साथ किए गए युद्ध विराम समझौते के एकतरफा निरसन के उपरांत एन एस सी एन (के) ने भारत म्यांमार सीमा पर रणनीतिक तरीके से अपने शिविरों को स्थानान्तरित कर लिया है तथा यह उल्फा/आई के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सुरक्षा बलों को लक्ष्य बना रहा है;
- iv) एन एस सी एन/आई एम, एन एस सी एन/आर तथा एन एस सी एन/एन के शत्रु गुटों से अलग होने तथा अपने आधिपत्य क्षेत्र को विस्तारित करने के प्रयासों के अलावा स्थानीय युवाओं की भर्ती, लोगों को डराने तथा जबरन धन वसूली के प्रयासों में लगा हुआ है;
- ए) उल्फा/आई, जो म्यांमार से काडरों की आवाजाही तथा हथियारों के पारगमन के लिए इस राज्य को अब तक पारगमन कोरिडोर के रूप में प्रयुक्त करता रहा है, वह अरुणाचल-असम सीमा पर कितपय पॉकेटों में जबरन धन वसूली में लगा हुआ है। रिपोर्टों से इन क्षेत्रों में एन डी एफ बी/एस काडरों की आवाजाही तथा म्यांमार में/से घुसपैठ का पता चलता है;
- vi) उपर्युक्त तीन जिलों में दिनांक 15.10.2015 से 31.03.2016 के दौरान भूमिगत संगठनों द्वारा हिंसा की 24 घटनाओं को अंजाम दिया गया जिनमें 3 व्यक्ति मारे गए तथा 24 भूमिगत काडर (एन एस सी एन/आर-11, एन एस सी एन/के-5,

एन एस सी एन/आई एम-4, एन एस सी एन/एन के-3, ए पी डी पी एफ-1) विद्रोह-रोधी अभियानों के दौरान गिरफ्तार किए गए।

अत: अव, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 04.05.2016 के बाद छ: महीने तक, जब तक कि इससे पहले इसे बापम न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता

- (i) पपुमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;
- (ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;
- (iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;
- (iv) निचली दिवांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
- (vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भलूकपोंग एवं वालेमू पुलिस थाने;
- (vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने,
- (viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना; और
- (ix) दलंग मख पलिस चौकी, लोअर सवनसिरी जिला।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFARIS NOTIFICTION

New Delhi, the 4th May, 2016

S.O. 1646(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act. 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 3011(E) dated 5.11.2015.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam indicate that:-

- security scenario in Tirap, Changlang and Longding districts remains vitiated by the spillover of Naga insurgency:
- Naga UG factions namely NSCN/K, NSCN/IM, NSCN/R & NSCN/NK continue to indulge in extortion. area domination, inter-factional rivalry;
- iii) NSCN (K) has tactically shifted its camps across Indo-Myanmar border after unilateral abrogation of ceasefire agreement with Govt. of India on 27.3.2015, is persisting with its attempts to target Security Forces jointly with ULFA/I;
- iv) NSCN/IM, NSCN/R and NSCN/NK are engaged in intimidation and extortion. recruiting local youth, besides engineering defection from rival factions and attempting to expand their area of dominance;
- v) ULFA/I, which has hitherto been using the State as a transit corridor for movement of cadres and transhipment of arms from Myanmar, is indulging in extortion in certain pockets along Arunachal- Assam boundary. Reports also indicate movement of NDFB/S cadres in these areas and for infiltrating to/from Myanmar.
- vi) In above three districts, 24 incidents of violence have been perpetrated by the UG outfits from 15.10.2015 to 31.3.2016 in which 03 persons have been killed and 24 UG cadres (NSCN/R-11, NSCN/K-5, NSCN/IM-4, NSCN/NK-3, APDPF-1) have been arrested in Counter Insurgency Operations.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for six months beyond 4.05.2016, unless withdrawn earlier: -

- Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;
- Likabali police station in West Siang district; ii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district; iii)

Roing police station in Lower Dibang Valley district;





- v) Seijosa police station in East Kameng district;
- vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district:
- vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- viii) Sunpura police station in Lohit district; and
- ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.



[F. No. 11011/104/2015-NE-V] SATYENDRA GRAG, Jt. Secy.



#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2629] No. 2629] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2016/कार्तिक 13, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016/KARTIKA 13, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2016

का.आ. 3383(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 04.05.2016 की अधिसूचना का.आ. 1646 (अ) के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा से यह पता चलता है कि :-

- (i) अभी तक जारी नागा विद्रोह की वजह से तिरप,चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों में सुरक्षा की स्थिति खराब बनी हुई है;
  - (ii) एनएससीएन/के, एनएससीएन/आईएम, एनएससीएन/आर तथा एनएससीएन/एनके नामक नागा भूमिगत गुट जबरन धनवसूली, क्षेत्र आधिपत्य, अन्तर गुटीय शत्रुता जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं;
- (iii) एनएससीएन (के) उल्फा (आई) के साथ सक्रिय रूप से मिलकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है

- (iv) एनएससीएन (आई एम) अब तक एनएससीएन (के) द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर आधिपत्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तथा डराने/धमकाने और जबरन धन वसूली करने का कार्य कर रहा है;
- (v) एनएससीएन (आर) तिरप, लांगडिंग तथा चांगलांग जिलों में भी सक्रिय हैं तथा अपने सशस्त्र काडरों के साथ स्थानीय युवकों को भर्ती करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है;
- (vi) एनएससीएन (एन के) लांगडिंग जिले में अपना प्रभाव जमाने में सफल रहा है तथा वह जबरन धनवसूली एवं अपहरण में लगा हुआ है;
- (vii) उल्फा (आई) ने अरुणाचल-असम सीमा पर कितपय पाँकेटों में जबरन धन वसूली में संलिप्त होना शुरू कर दिया है। इन क्षेत्रों में विद्रोह-रोधी प्रचालनों से बचने तथा म्यांमार में/से घुसपैठ करने के लिए एनडीएफबी (एस) तथा एनडीएफबी (आर) काडरों की आवाजाही की भी सूचना है।

अत: अब, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 4.11.2016 से छह महीने के लिए, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

- (i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;
- (ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;
- (iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;
- (iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
- (vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भालूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;
- (vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर थाने;
- (viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;
- (ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

[फा.सं. 11011/104/2015-एन ई-V] सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4<sup>th</sup> November, 2016

**S.O. 3383 (E).**—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958(28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 1646(E) dated 4.5.2016.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam indicate that: -

- i) security scenario in Tirap, Changlang and Longding districts remains vitiated by the spillover of Naga insurgency;
- ii) Naga UG factions namely NSCN/K, NSCN/IM, NSCN/R & NSCN/NK continue to indulge in extortion, area domination, recruitment of locals, inter-factional rivalry;
- iii) NSCN(K), in active participation with ULFA(I), is persisting with its attempts to target Security Forces;
- iv) NSCN (IM) is contriving to dominate areas hitherto occupied by NSCN(K) and is resorting to intimidation and extortion:
- v) NSCN( R) is also active in Tirap, Longding and Changlang districts and with its armed cadres has been focusing on recruiting local youth;
- vi) NSCN(NK) has managed to gain a foothold in Longding district and is engaging in extortion and abduction;
- vii) ULFA(I) has started indulging in extortion in certain pockets along Arunachal-Assam boundary. Movement of NDFB(S) and NDFB (R) cadres has also been reported in these areas for escaping Counter Insurgency operations and for infiltrating to/from Myanmar.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for six months w.e.f. 4.11.2016, unless withdrawn earlier: -

- i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;
- ii) Likabali police station in West Siang district;
- iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;
- iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- v) Seijosa police station in East Kameng district;
- vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;
- vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- viii) Sunpura police station in Lohit district; and
- ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.



#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1239] No. 1239] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2017/वैशाख 14, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2017/VAISAKHA 14, 1939

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2017

का.आ. 1402(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 04.11.2016 की अधिसूचना का.आ. 3383(अ) के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगर्डिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा से यह पता चलता है कि :—

- (i) अभी तक जारी नागा विद्रोह की वजह से तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों में सुरक्षा की स्थिति खराब बनी हुई है;
- (ii) एनएससीएन/के, एनएससीएन/आईएम, एनएससीएन/आर तथा एनएससीएन/एनके नामक नागा भूमिगत गुट जबरन धनवसूली, क्षेत्र आधिपत्य, अन्तर गुटीय शत्रुता जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं;
- (iii) एनएससीएन (के) उल्फा (आई) के साथ सक्रिय रूप से मिलकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है तथा इसने हाल ही में इस प्रकार के हमले किए हैं ·
- (iv) एनएससीएन (आई एम) अब तक एनएससीएन (के) द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर आधिपत्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तथा डराने/धमकाने और जबरन धन वसूली करने का कार्य कर रहा है;
- (v) एनएससीएन (आर) अरुणाचल प्रदेश में तिरप, लांगर्डिंग तथा चांगलांग जिलों में भी सक्रिय हैं तथा स्थानीय युवकों को भर्ती करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है;
- (vi) एनएससीएन (एन के) लांगर्डिंग जिले में अपना प्रभाव जमाने में सफल रहा है तथा वह जबरन धनवसूली एवं अपहरण में लगा हुआ है;

- (vii) उल्फा (आई), जो अब तक राज्य को कॉडरों के आवागमन तथा म्यांमार से शस्त्रों की खेप लाने के लिए ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में प्रयोग करता रहा है, ने अरुणाचल-असम सीमा पर कुछ पॉकेटों में जबरन धन वसूली शुरू कर दी है;
- (viii) विद्रोह-रोधी अभियानों से बचने तथा म्यांमार से आने-जाने के लिए अरुणाचल-असम सीमा पर एनडीएफबी (एस) तथा एन डी एफ बी (आर) कॉडरों का आवागमन देखा गया है;
- (ix) भूमिगत संगठनों द्वारा 06.09.2016 से 20.02.2017 तक की अविध के दौरान, तीरप, चांगलांग और लांगिडिंग जिलों में हिंसा की 25 घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिनमें 6 व्यक्तियों (एनएससीएन (के)-1, एनएससीएन (एन के)-1, उल्फा (आई)-2 तथा सुरक्षा बलों-2 की मौत हो गई तथा 28 भूमिगत कॉडरों (एनएससीएन (आर)-9, एनएससीएन (के)-6, एनएससीएन (आई/एम)-5 और उल्फा-8 को गिरफ्तार किया गया है।

अत: अब, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लागर्डिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 04.05.2017 से तीन महीने के लिए, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

- (i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;
- (ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;
- (iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;
- (iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
- (vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भालूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;
- (vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर थाने;
- (viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;
- (ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-∨] सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2017

**S.O. 1402(E).**—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 3383(E) dated 4.11.2016.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam indicate that:—

- (i) security scenario in Tirap, Changlang and Longding districts remains vitiated by the spillover of Naga insurgency;
- (ii) Naga UG factions namely NSCN(K), NSCN(I/M), NSCN(R) & NSCN(NK) continue to indulge in extortion, area domination, recruitment of locals, inter-factional rivalry;
- (iii) NSCN(K) is persisting its attempts to target security forces jointly with ULFA(I) and has carried out such attacks during recent past;

- (iv) NSCN (IM) is contriving to dominate areas hitherto occupied by NSCN(K) and is resorting to intimidation and extortion;
- (v) NSCN(R) is also active in Tirap, Longding and Changlang districts in Arunachal Pradesh and has been focusing on recruiting local youth;
- (vi) NSCN(NK) has managed to gain a foothold in Longding district and is engaging in extortion and abduction:
- (vii) ULFA(I), which has hitherto been using the State as a transit corridor for movement of cadres and transhipment of arms from Myanmar, has started indulging in extortion in certain pockets along Arunachal-Assam boundary;
- (viii) Movements of NDFB(S) and NDFB(R) cadres along Arunachal-Assam boundary have been noticed for escaping Counter Insurgency operations and for movement to/from Myanmar; and
- (ix) During the period from 6.09.2016 to 20.2.2017 in Tirap, Changlang and Longding districts 25 incidents of violence have been perpetrated by the UG outfits in which 6 persons (NSCN(K) -1, NSCN(NK)-1,ULFA(I)-2 and Security Forces -2 have been killed and 28 UG cadres (NSCN(R) -9, NSCN(K)-6, NSCN(I/M)-5 and ULFA-8 have been arrested.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for three months w.e.f. 4.05.2017, unless withdrawn earlier: -

- (i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;
- (ii) Likabali police station in West Siang district;
- (iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;
- (iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- (v) Seijosa police station in East Kameng district;
- (vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;
- (vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- (viii) Sunpura police station in Lohit district; and
- (ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.



#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2169]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2017/श्रावण 13, 1939

No. 2169]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2017/SRAVANA 13, 1939

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2017

का.आ. 2469(अ).— यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.05.2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1402 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग तथा लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग तथा लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

अत: अब, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्निलिखित पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 04.08.2017 के बाद 30.09.2017 तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

- (i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;
- (ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;
- (iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन और नारी पुलिस थाने;

- (iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
- (vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भलूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;
- (vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने,
- (viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना; और
- (ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2017

**S.O. 2469** (E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958(28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 1402(E) dated 4.05.2017.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 30.09.2017w.e.f. 4.08.2017, unless withdrawn earlier:

- (i) Banderdewa, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;
- (ii) Likabali police station in West Siang district;
- (iii) Ruksin and Nari police stations in East Siang district;
- (iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- (v) Seijosa police station in East Kameng district;
- (vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;
- (vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- (viii) Sunpura police station in Lohit district; and
- (ix) DulungMukh Police Out Post in Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.



#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2807] No. 2807] नई दिल्ली, रविवार, अक्तूबर 1, 2017/आश्विन 9, 1939 NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 1, 2017/ASVINA 9, 1939

## गृह मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3208(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 04.08.2017 की अधिसूचना का.आ. 2469(अ) के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगर्डिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चौदह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चौदह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में निम्नलिखित पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए :—

- (i) पपूमपारे जिले में बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;
- (ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;
- (iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन पुलिस थाना;
- (iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
- (vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भालूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;
- (vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर थाने; और
- (viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V] सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2017

S.O. 3208(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of fourteen police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assamas 'disturbed area' vide Notification S.O. 2469(E), dated 4.08.2017.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of fourteen police stations/police out post in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 31.03.2018 w.e.f. 01.10.2017, unless withdrawn earlier:—

- (i) Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;
- (ii) Likabali police station in West Siang district;
- (iii) Ruksin police station in East Siang district;
- (iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- (v) Seijosa police station in East Kameng district;
- (vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;
- (vii) Namsai and Mahadevpurpolice stations in Namsai district; and
- (viii) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.



#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1293]

नई दिल्ली, रविवार, अप्रैल 1, 2018/चैत्र 11, 1940

No. 1293]

NEW DELHI, SUNDAY, APRIL 1, 2018/CHAITRA 11, 1940

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2018

का. आ. 1431(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.10.2017 की अधिसूचना का.आ. 3208 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगर्डिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में ग्यारह पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में ग्यारह पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में निम्नलिखित आठ पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जए :-

- (i) पश्चिमी कैमंग जिले में बालेमू एवं भालूकपोंग पुलिस थाने;
- (ii) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
- (iii) पपूमपारे जिले में बालिजन पुलिस थाना;
- (iv) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;
- (v) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (vi) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2018

S.O. 1431(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958(28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of eleven police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 3208(E) dated 1.10.2017.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of eleven police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following eight police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 30.09.2018 w.e.f. 01.04.2018, unless withdrawn earlier:—

- i) Balemu and Bhalukpong police stations in West Kameng district;
- ii) Seijosa police station in East Kameng district;
- iii) Balijan police station in Papumpare district;
- iv) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- v) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- vi) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.



#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3841]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2018/ आश्विन 9, 1940

No. 3841]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2018/ASVINA 9, 1940

## गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5020(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.04.2018 की अधिसूचना का.आ. 1431(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगिडेंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में आठ पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगर्डिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में आठ पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगर्डिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में निम्नलिखित आठ पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए :-

- (i) पश्चिमी कैमंग जिले में बालेमू एवं भालूकपोंग पुलिस थाने;
- (ii) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
- (iii) पपूमपारे जिले में बालिजन पुलिस थाना;
- (iv) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;
- (v) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (vi) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना।

[फा. सं. 11011/104/2015-**एन ई-**V] सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2018

S.O. 5020(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of eight police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 1431(E) dated 1.04.2018.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of eight police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following eight police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 31.03.2019 w.e.f. 01.10.2018, unless withdrawn earlier: -

- i) Balemu and Bhalukpong police stations in West Kameng district;
- ii) Seijosa police station in East Kameng district;
- iii) Balijan police station in Papumpare district;
- iv) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- v) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- vi) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.



#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 1322] No. 1322] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2019/चैत्र 11, 1941

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2019/CHAITRA 11, 1941

# गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2019

का.आ. 1494(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.10.2018 की अधिसूचना का.आ. 5020(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में आठ पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगर्डिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में आठ पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगर्डिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में निम्नलिखित चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए :-

(1)

- (i) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;
- (ii) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (iii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना।

[फा.सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2019

S.O. 1494(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of eight police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 5020(E) dated 1.10.2018.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of eight police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following four police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 30.09.2019 w.e.f. 01.04.2019, unless withdrawn earlier: -

- (i) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- (ii) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- (iii) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.



#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3243]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 2019/आश्विन 9, 1941

No. 3243]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019/ASVINA 9, 1941

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3559(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.04.2019 की अधिसूचना का.आ. 1494 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगर्डिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में निम्नलिखित चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए :-

- (i) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;
- (ii) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग प्लिस थाना;
- (iii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

[फा.सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2019

S.O. 3559(E).— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of four police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O.1494(E) dated 01.04.2019.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of four police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following four police stations in other districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 31.03.2020 w.e.f. 01.10.2019, unless withdrawn earlier:

- (i) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- (ii) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- (iii) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218988 CG-DL-E-01042020-218988

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 1099]

PUBLISHED BY AUTHORITY नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2020/चैत्र 12, 1942

No. 1099]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020/CHAITRA 12, 1942

# गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली,1 अप्रैल, 2020

का.आ.1235(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.10.2019 की अधिसूचना का.आ. 3559 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में निम्नलिखित चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए:-

- (i) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;
- (ii) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (iii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

[फा.सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2020

S.O. 1235(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of four police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 3559(E) dated 01.10.2019.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of four police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following four police stations in other districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 30.09.2020 w.e.f. 01.04.2020, unless withdrawn earlier:

- (i) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- (ii) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- (iii) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

# Han Asyan The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222187 CG-DL-E-01102020-222187

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3070] No. 3070] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

# गृह मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3449(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.04.2020 की अधिसूचना का.आ. 1235(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में निम्नलिखित चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए:-

- (i) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;
- (ii) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (iii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V] सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2020

**S.O.** 3449(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of four police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' *vide* Notification S.O. 1235(E) dated 01.04.2020.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of four police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following four police stations in other districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 31.03.2021 w.e.f. 01.10.2020, unless withdrawn earlier: -

- (i) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- (ii) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- (iii) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226315 CG-DL-E-01042021-226315

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1329]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943

No. 13291

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

# गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

का.आ. 1440(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.10.2020 की अधिसूचना का.आ. 3449 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में निम्नलिखित चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 30.09.2021 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए:-

- (i) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;
- (ii) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (iii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V] पियूष गोयल, अपर सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2021

**S.O. 1440(E).**—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of four police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide notification S.O.3449(E) dated 01.10.2020.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of four police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following four police stations in other districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 30.09.2021 w.e.f. 01.04.2021, unless withdrawn earlier: -

- (i) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- (ii) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- (iii) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V] PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230089 CG-DL-E-01102021-230089

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3712] No. 3712] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

# गृह मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4046(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.04.2021 की अधिसूचना का.आ. 1440(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में चार पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

**S.O.** 4046(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of four police stations in other districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 1440(E) dated 01.04.2021.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of four police stations in other districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 from 01.10.2021 to 31.03.2022, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE.V] PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234754 CG-DL-E-01042022-234754

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1490] No. 1490] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

# गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

का.आ. 1551(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.10.2021 की अधिसूचना का.आ.4046(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2022

S.O. 1551(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O.4046(E) dated 01.10.2021.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts and in the area falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 from 01.04.2022 to 30.09.2022, unless withdrawn earlier.

[F. No.11011/104/2015-NE.V] PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239233 CG-DL-E-30092022-239233

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4415] No. 4415] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ ASVINA 8, 1944

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

का.आ. 4623(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.04.2022 की अधिसूचना का.आ.1551(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगर्डिंग जिलों और नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगिडेंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2022 से छ: माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियुष गोयल, अपर सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

**S.O. 4623(E).**—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O.1551(E) dated 01.04.2022.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts and in the area falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.10.2022, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE.V] PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244656 CG-DL-E-24032023-244656

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1369] No. 1369] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

### गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

का.आ. 1422(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.09.2022 की अधिसूचना का.आ.4623(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगर्डिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2023 से छ: माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2023

S.O. 1422(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O.4623(E) dated 30.09.2022.

And whereas a further review of the law and order situation in the state of Arunachal Pradesh has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chowkham police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.04.2023, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE.V] PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092023-249008 CG-DL-E-26092023-249008

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4063]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2023/आश्विन 4, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023/ ASVINA 4, 1945

No. 4063]

# गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2023

का.आ. 4231(अ).— यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 24.03.2023 की अधिसूचना का.आ.1422(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगर्डिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले के नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2023 से छ: माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2023

S.O. 4231(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chowkham police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O.1422(E) dated 24.03.2023.

And whereas a further review of the law and order situation in the state of Arunachal Pradesh has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chowkham police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.10.2023, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE.V] PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.